अप्रैल 2025

संविधान के

कुरुक्षेत्र

1954 से प्रकाशित ग्रामीण विकास मासिक

पंचायती राज

- महिला नेतृत्व को सशक्त करती पंचायती राज व्यवस्था
- पंचायतों को अधिकारों के हस्तांतरण की रूपरेखा
- पंचायती राज के सशक्तीकरण का एक दशक
- आर्थिक विकास और सम्पत्ति अधिकारों के द्वार खोलती स्वामित्व योजना
- पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जल प्रबंधन

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India

Available NOW

FUTURE-PROOF YOUR CAREER WITH EXCLUSIVE EXPERT INSIGHTS

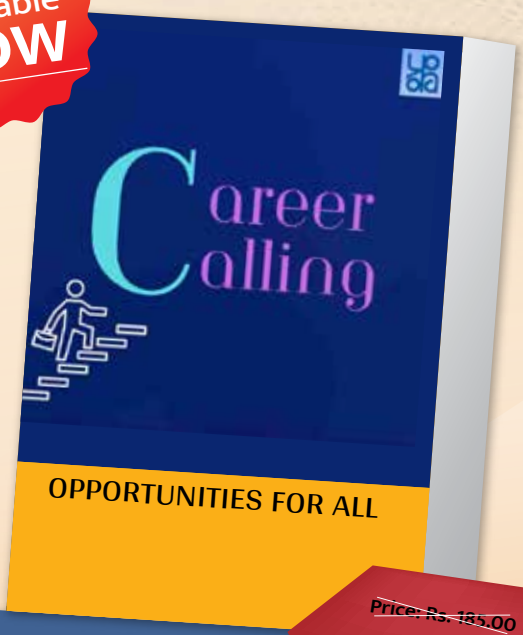

Price: Rs. 185.00
Spl. Price Rs. 166.50

Available at

www.publicationsdivision.nic.in

Book Gallery
Soochna Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-03

www.amazon.in

For business related queries on this book, please contact:
Phone: 011 24365609 | Email: businesswng@gmail.com

@publicationsdivision | @Employ_News | @DPD_India | @dpd_india

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष : 71 ★ मासिक अंक : 6 ★ पृष्ठ : 52 ★ चैत्र-वैशाख, 1946 ★ अप्रैल 2025

प्रधान संपादक : **कुलश्रेष्ठ कमल**

वरिष्ठ संपादक : **ललिता खुराना**

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : **डी.के.सी. हृदयनाथ**

आवरण : **पवनेश कुमार बिंद**

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं- 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,

सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

वार्षिक साधारण डाक : ₹ 230

ट्रैकिंग सुविधा के साथ : ₹ 434

नोटः सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play या Amazon पर लॉग-इन करें ।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश

प्रकाशन विभाग, कमरा सं-779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई-मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाषः 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कॅरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

इस अंक में

महिला नेतृत्व को सशक्त करती पंचायती राज व्यवस्था 5
– प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

पंचायतों को अंतरण की रूपरेखा एक नई दृष्टि : पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 9
– विवेक भारद्वाज

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण का एक दशक 13
– सुशील कुमार लोहानी

राज्य पंचायती राज अधिनियमों की पुनः समीक्षा ज़रूरी 21
– अमर नाथ एच. के.

सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती 'स्वामित्व' योजना 28
– डॉ. बिजय कुमार बेहेरा

'मेरी पंचायत' एप्लिकेशन – ग्रामीण लोकतंत्र का प्रहरी 31
– सुनीता जैन

ग्राम योजना में सहायक ग्राम मानचित्र 35
– मीनू अरोड़ा

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल प्रबंधन 39
– अरुणलाल के.

पंचायतों की क्षमता निर्माण से सशक्त होगा ग्रामीण भारत 45
– डॉ. मोहसिन उद्दीन, डॉ. वसंथा गौरी

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
पुणे	ग्राउंड फ्लोर, कैरियर बिल्डिंग, महादजी शिंदे बीएसएनएल टी ई कम्पाउंड, पूना क्लब के पास, कैंप, पुणे	411001	-
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं- 204, दूसरा तल, सीजीओ टॉवर, कवादिगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फ़र्स्ट फ्लोर, 'एफ़ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंजिल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर, एमआरडी रोड, चानमारी, गुवाहाटी	781003	0361-4083136

संपादकीय

भारत में पंचायती राज प्रणाली देश की शासन संरचना का एक अनोखा और अपरिहार्य हिस्सा है, जिसे अंतरण सुनिश्चित करने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह प्रणाली भारत की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाओं में निहित है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, बल्कि सहभागी शासन को भी सशक्त बनाती है और ज़मीनी स्तर पर जनता की आवाज़ को प्रमुखता प्रदान करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, संवैधानिक व्यवस्था के तहत आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। 73वें संविधान संशोधन ने इन्हें संवैधानिक दर्जा देकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण को सुदृढ़ किया।

इसी उपलक्ष्य में पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया था। इस अवसर पर प्रकाशित कुरुक्षेत्र के इस अंक में, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने अपने लेख में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व पर ज़ोर दिया है। उनका मानना है कि जब महिलाएं पंचायतों में नेतृत्व कर रही हैं, तो विकास योजनाएं ज़्यादा समावेशी और प्रभावी हो रही हैं।

वित्तीय स्वायत्तता पंचायतों के सशक्तीकरण में अहम भूमिका निभाती है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने अपने लेख में पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों में अंतरण की रूपरेखा पर चर्चा की है। लेख में बताया गया है कि पंचायत अंतरण सूचकांक किस प्रकार साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा दे रहा है और राज्यों के बीच स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करने की प्रतिस्पर्धा को प्रेरित कर रहा है।

इसी कड़ी में, सुशील कुमार लोहानी, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने अपने लेख में बताया है कि कैसे पिछले एक दशक में पंचायतों को अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर बनाया गया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी ने पंचायतों को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत किया है।

इसके अलावा, इस अंक में कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे 'राज्य पंचायत अधिनियमों की पुनः समीक्षा', 'स्वामित्व योजना', 'पंचायतों द्वारा जल प्रबंधन' और 'पंचायतों की क्षमता निर्माण' पर भी लेख शामिल हैं। इन लेखों में पंचायतों को और प्रभावशाली बनाने के लिए उठाए गए कदमों और उनकी चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी गई है।

पंचायती राज प्रणाली में असीम संभावनाएं हैं। इस व्यवस्था ने न केवल ग्रामीण समुदायों को सशक्त किया है, बल्कि प्रशासन को भी आम जनता के करीब लाने में मदद की है। हालांकि, पंचायतों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायती राज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केवल कानूनी समर्थन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, वित्तीय स्वतंत्रता और प्रशासनिक सुधार भी ज़रूरी हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि डिजिटल गवर्नेंस के बढ़ते प्रभाव के कारण अधिकांश पंचायतें ई-ग्रामस्वराज पोर्टल से जुड़ चुकी हैं, जिससे पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ी है। सही नीतियों और सुधारों के साथ, पंचायती राज ग्रामीण भारत को सशक्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

हमें उम्मीद है कि 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका का 'पंचायती राज' पर केंद्रित यह अंक पाठकों की ज्ञानवृद्धि करेगा और पंचायती राज की वर्तमान स्थिति व मंत्रालय की उपलब्धियों की सटीक जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही, यह अंक पंचायतों को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और सुशासित बनाने के प्रयासों को उजागर करेगा, जिससे 'विकसित भारत' के निर्माण का लक्ष्य साकार किया जा सके।

महिला नेतृत्व को सशक्त करती पंचायती राज व्यवस्था

*प्रो. एस. पी. सिंह बघेल

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिला पंचायत प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता को उभारने के लिए सतत रूप से कार्य किया जा रहा है। विगत एक दशक में मंत्रालय के इन प्रयासों के सकारात्मक एवं सराहनीय परिणाम सामने आए हैं। पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पर्याप्त क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण से उनके निर्णय लेने एवं कार्य करने की दक्षता में सुधार हुआ है।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" – भारत की सनातन संस्कृति में नारी सम्मान और सशक्तीकरण की समृद्ध परंपरा रही है। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा, शास्त्रार्थ और शासन में सक्रिय थीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने दर्शन और ब्रह्मविद्या पर गूढ़ संवाद कर अपनी विद्वत्ता सिद्ध की। वैदिक काल की सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी दर्शाती है कि उन्हें सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। मध्यकाल में महारानी अहिल्या बाई होल्कर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंती बाई जैसी विदुषियों और वीरांगनाओं ने समय-समय पर कुशलता के साथ शासन व्यवस्था में महिला नेतृत्व को स्थापित किया है। इतिहास दर्शाता है कि भारतीय नारी ने हमेशा समाज और शासन को दिशा दी है। आज भी महिलाएं इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं, जिससे नारी सशक्तीकरण का स्वर्णिम अध्याय निरंतर आगे बढ़ रहा है।

1993 में संविधान के 73वें संशोधन से त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है। लगभग साढ़े 6 लाख गाँवों में रहने वाली देश की तकरीबन 65 फीसदी आबादी के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के एजेंडे को ज़मीन पर उतारने में हमारी 2.6 लाख पंचायतों की सबसे अहम ज़िम्मेदारी है। उल्लेखनीय बात यह है कि देशभर में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिसमें लगभग 46% अर्थात आधी महिलाएं हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं ज़मीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई (1/3) सीटें आरक्षित की गई हैं। हालांकि 21 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों ने महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने यहां प्रत्यक्ष निर्वाचन में महिला आरक्षण को बढ़ाकर

* केंद्रीय राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। ईमेलः mos-mopr@gov.in

50 % तक कर दिया है। यह भी देखने में आया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में कई स्थानों पर महिलाएं अनारक्षित सीटों पर खुली प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए भी पंचायत के पदों पर पहुँची हैं।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिला पंचायत प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता को उभारने के लिए सतत रूप से कार्य किया जा रहा है। विगत एक दशक में मंत्रालय के इन प्रयासों के सकारात्मक एवं सराहनीय परिणाम सामने आए हैं। पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पर्याप्त क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण से उनके निर्णय लेने एवं पंचायत के कार्य करने की दक्षता में सुधार हुआ है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के मध्य राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत लगभग 23.14 लाख निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दक्ष बनाया गया है।

हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय ने 4 और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जो निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों और महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में 'सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान' की शुरुआत की गई। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण को मज़बूत करने, उनकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाने, और ज़मीनी स्तर पर शासन में उनकी भूमिका को सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सम्मेलन में, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किया गया, जिसमें विभिन्न कौशलों को बढ़ाने के लिए खेलों और गतिविधियों का उपयोग शामिल है। इस पहल से पंचायती राज संस्थाओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी में वृद्धि की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 'आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत' पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक आदर्श ग्राम पंचायत स्थापित करना है। यह पहल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और स्थानीय शासन में उनकी भूमिका को मज़बूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इन पहलों के माध्यम से सरकार महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और स्थानीय शासन में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शिका (प्राइमर) विकसित की है, जो लिंग-आधारित हिंसा और कुप्रथाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधानों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को इन मुद्दों का प्रभावी समाधान करने और अपने समुदायों में इन्हें रोकने में सहायता प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने देश के प्रत्येक ज़िले में एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस पहल के तहत, मंत्रालय ने एक व्यापक

प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसकी निगरानी के लिए सक्रिय डैशबोर्ड तैयार किया है। आने वाले समय में, 770 आदर्श महिला हितैषी पंचायतें स्थापित की जाएंगी, जो देशभर की अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी और ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित, सुखद एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगी।

महिला हितैषी पंचायतें गांवों में महिलाओं और किशोरियों के आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए पंचायतों को उत्तरदायी बनाती हैं। विगत वर्षों में, कई पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में महिला हितैषी प्रावधान शामिल करके इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

वर्ष 2023-24 में केवल 1% ग्राम पंचायतों ने अपनी GPDP में महिला हितैषी थीम को शामिल किया था। पंचायती राज मंत्रालय के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 4.57% हो गई और वर्ष 2025-26 में लगभग 5% ग्राम पंचायतों ने अपनी योजनाओं में इस थीम को शामिल किया। यह वृद्धि सकारात्मक है, लेकिन अभी भी अधिक पंचायतों को इस दिशा में संकल्प लेने की आवश्यकता है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की सशक्त उपस्थिति का एक उत्कृष्ट उदाहरण वर्ष 2024 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देखने को मिला। इस समारोह में कुल 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया, जिनमें से लगभग 40% पंचायतों का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में था। यह उपलब्धि दर्शाती है कि महिला नेतृत्व वाली पंचायतें ग्रामीण विकास, सुशासन और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभी भी कुछ स्थानों पर निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' की मानसिकता महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने की संकीर्ण सोच का परिणाम है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, पंचायती राज मंत्रालय ने इस कुप्रथा पर रोक लगाने और महिला पंचायत प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए सितंबर 2023 में भारत सरकार के पूर्व सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति की हाल ही में आई रिपोर्ट "पंचायती राज प्रणालियों और संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उनकी भूमिकाओं में परिवर्तनः प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों को समाप्त करना" में दिए गए सुझाओं/अनुशंसाओं का पालन इस कुप्रथा के अंत को सुनिश्चित करेगा। यदि निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर स्वयं निर्णय लेंगी, तो ग्रामीण भारत के सामाजिक परिदृश्य में शीघ्र ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

पंचायती राज मंत्रालय की 'स्वामित्व' योजना ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के नए आयाम स्थापित किए हैं। देश के कई राज्यों ने 'स्वामित्व' योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले संपत्ति कार्ड में महिला को भवन स्वामी के रूप में पूर्ण

रूप से या संयुक्त रूप से पंजीकृत करने का प्रावधान किया है। मकान का मालिकाना हक अपने नाम होने से ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों को भी इस पहल को अपनाना चाहिए। 18 जनवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए।

ग्रामसभा ग्रामीण समुदाय के प्रत्येक मतदाता को गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। ग्रामसभा की बैठकों में न्यूनतम 10% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है, जिसमें कम से कम 30% महिलाएं शामिल होनी चाहिए। महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देने के लिए 'महिला सभा' का प्रावधान किया गया है, जिसमें गांव की कुल महिला मतदाताओं का कम से कम 10% कोरम आवश्यक है। कई राज्यों ने प्रत्येक पंचायत में वर्ष में कम से कम दो या तीन महिला सभाओं का आयोजन अनिवार्य किया है, जिससे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अन्य राज्यों को भी महिला सभाओं के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रावधान अपनाने चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में, पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों का परिणाम है कि पंचायतों में महिला नेतृत्व की अग्रणी भूमिका स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत की संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया है, जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम पंचायतों में अपने कुशल नेतृत्व को साबित करने वाली बहनों के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है, जिससे वे भविष्य में विधानसभा या लोकसभा तक पहुँच सकती हैं।

प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' के 119वें एपिसोड में 'राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति' की भूमिका पर ज़ोर दिया था। ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण और पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता के विकास के हमारे प्रयास उस समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं, जहां देश की आधी आबादी को उसका पूरा हक प्राप्त हो सके। ❑

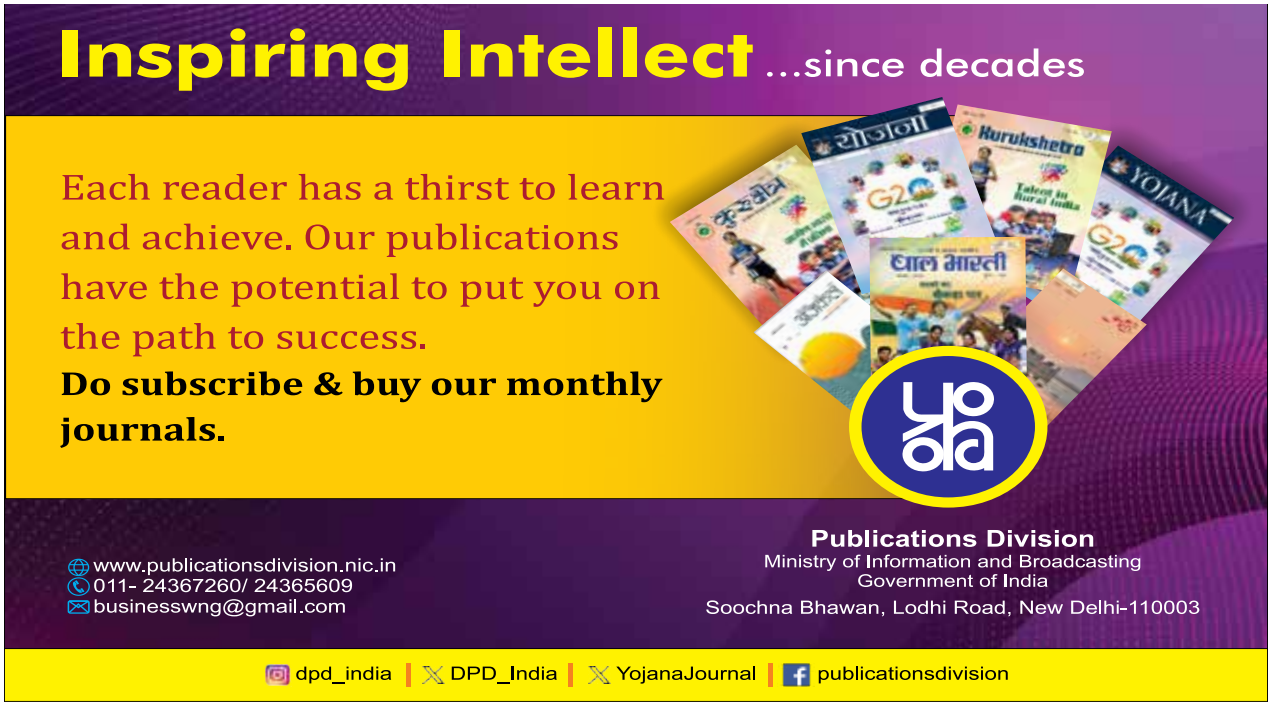

पंचायतों को अंतरण की रूपरेखा
एक नई दृष्टि : पंचायत अंतरण सूचकांक 2024

*विवेक भारद्वाज

अंतरण सूचकांक का उपयोग स्थानीय शासन की समग्र स्थिति का आकलन करने और यह पहचानने के लिए किया जा सकता है कि किन क्षेत्रों में सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है। यह उन क्षेत्रों को उजागर करता है जहां राज्य उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां उन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। यह लक्षित नीतियों के निर्माण में सहायता करता है, जो पंचायत प्रणाली को मज़बूत करने और अधिक अंतरण को बढ़ावा देने में सहायक होंगी। अंतरण सूचकांक केवल एक रैंकिंग नहीं है; यह एक दिशा-संकेतक है जो अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी और जवाबदेह स्थानीय शासन प्रणाली की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। आम नागरिकों के लिए यह पंचायतों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी रूप से समझने और उनमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का माध्यम है।

हम जानते हैं कि संविधान के भाग IX, जिसका शीर्षक 'पंचायतें' है, को 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया था। पंचायतें, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में, भारत की बहु-स्तरीय संघीय प्रणाली का एक मूलभूत घटक हैं। संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत, राज्य की विधायिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन से संबंधित शक्तियों और ज़िम्मेदारियों का हस्तांतरण करने के लिए कानून बनाए। इसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषय भी शामिल हैं। ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, भूमि सुधार, स्कूल शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास जैसे 29 विषय सूचीबद्ध हैं।

राज्य विधायिकाओं को ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों पर विचार करना होता है, ताकि पंचायतों को शक्ति और ज़िम्मेदारी हस्तांतरित की जा सके। इस प्रक्रिया में, केंद्र सरकार राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करती है ताकि वे संविधान के भाग IX में उल्लिखित कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।

यह केंद्रीय कानून प्रत्येक राज्य के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वे अनुकूलता अधिनियम (Conformity Acts) पारित करें, जिससे केंद्रीय प्रावधानों को उनके मौजूदा पंचायत अधिनियमों में एकीकृत किया जा सके। हालांकि अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान–जैसे राज्य चुनाव आयोगों द्वारा नियमित पंचायत चुनाव, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण, और राज्य वित्त आयोगों का गठन लागू किए गए हैं, लेकिन पंचायतों के कार्यों, वित्त और कर्मियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया राज्यों में असंगत बनी हुई है। हम जानते हैं कि

*सचिव, पंचायती राज मंत्रालय,भारत सरकार। ईमेलः secy-mopr@nic.in

राज्य का नाम	स्वीकृत जीपी भवनों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	661
आंध्र प्रदेश	617
उत्तराखंड	612
महाराष्ट्र	568
हरियाणा	500
पंजाब	500
गुजरात	412
कर्नाटक	258
असम	178
तमिलनाडु	146
उत्तर प्रदेश	100

प्रभावी स्थानीय शासन केवल इन हस्तांतरण तंत्रों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए 'क्षमता संवर्धन' और 'जवाबदेही' जैसे उपाय आवश्यक हैं, ताकि पंचायतों के संचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

इसी पृष्ठभूमि में, पंचायत अंतरण सूचकांक (PDI) को संकलित किया जाता है, जो यह मापने का एक माध्यम है कि भारत के विभिन्न राज्यों ने पंचायतों को कितनी अधिकारिता और जिम्मेदारी हस्तांतरित की है। इसे भारत में प्रतिष्ठित शोध संस्थानों के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा समय-समय पर तैयार किया जाता है। इस प्रकार PDI भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) में अंतरण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। यह सूचकांक विभिन्न अध्ययनों, फीडबैक तंत्रों और कार्यप्रणालीगत सुधारों के माध्यम से विकसित हुआ है, जो भारत में अंतरण की प्रगति और चुनौतियों को उजागर करता है।

इस संदर्भ में नवीनतम अध्ययन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) को सौंपा गया था, जिसने 2021-22 में विभिन्न राज्यों में अंतरण की स्थिति को दर्शाने वाली रिपोर्ट संकलित की।

उत्पत्ति और पूर्व के प्रयास

अक्टूबर 2004 में, पंचायती राज मंत्रालय ने श्रीनगर में पंचायतों की स्थिति और अंतरण सूचकांक विषय पर राज्य मंत्रियों के लिए एक गोलमेज़ सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) ने अंतरण सूचकांक का एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया। इस अवधारणा पत्र में अंतरण के महत्वपूर्ण आयामों की रूपरेखा दी गई, विशेष रूप से कार्य, वित्त और कार्मिकों के हस्तांतरण (3F फ्रेमवर्क) पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह अवधारणा पत्र आगे चलकर विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों का आधार बना, जिन्हें समय के साथ और परिष्कृत किया गया।

अंतरण सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) की छह प्रमुख पहचानी गई श्रेणियों (फ्रेमवर्क, कार्य, वित्त, कार्मिक, क्षमता संवर्धन और जवाबदेही) के आधार पर 26 संकेतकों के माध्यम से समग्र स्कोर और रैंक प्रस्तुत करता है। यह सूचकांक भौगोलिक और समय-आधारित आकलन दोनों की अनुमति देता है, जिससे शक्ति हस्तांतरण की स्थिति को समझने में मदद मिलती है। इसके उप-सूचकांक विभिन्न राज्यों में अंतरण की क्षेत्रीय विविधताओं में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

शुरुआत में, अंतरण सूचकांक 3F फ्रेमवर्क पर आधारित था, जो यह मूल्यांकन करता था कि राज्यों ने पंचायतों को कार्य, वित्त और कार्मिकों की कितनी अधिकारिता हस्तांतरित की है। 2008 में, इसमें 'फ्रेमवर्क' श्रेणी को जोड़ा गया, जिससे राज्यों की संवैधानिक अनिवार्यताओं के अनुपालन का मूल्यांकन किया जाने लगा। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, नियमित पंचायत चुनावों का आयोजन और राज्य वित्त आयोग (SFCs) का गठन जैसी शर्तें शामिल थीं।

समय के साथ, इस सूचकांक को अधिक व्यापक बनाने के लिए अतिरिक्त श्रेणियों को भी जोड़ा गया। प्रारंभिक वर्षों में, सूचकांक की कार्यप्रणाली को परिष्कृत करने और इसके दायरे को विस्तृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2009 में, IIPA ने इस अध्ययन को अपने अधीन लिया और दो-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाकर कार्यप्रणाली का विस्तार किया। पहले चरण में उन राज्यों की पहचान की गई जो चारों अनिवार्य मानदंडों (संवैधानिक प्रावधानों) का पालन करते हैं। दूसरे चरण में इन राज्यों के लिए अंक गणना की गई। यह दृष्टिकोण अंतरण की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिससे यह पता चलता है

राज्य का नाम	स्वीकृत कंप्यूटरों की संख्या
पंजाब	8034
छत्तीसगढ़	5896
उत्तराखंड	3760
झारखंड	2066
बिहार	2000
तेलंगाना	1640
तमिलनाडु	1594
आंध्र प्रदेश	1422
हरियाणा	1363
महाराष्ट्र	945
असम	687
अरुणाचल प्रदेश	400

* 3F – Function, Finances & Functionaries

कि राज्यों में अंतरण की व्यापकता और गहराई कैसी है।

वर्ष 2009 से 2013 के बीच, अंतरण के अधिक विस्तृत पहलुओं को शामिल करने के लिए अतिरिक्त आयाम जोड़े गए। फ्रेमवर्क को विस्तारित किया गया, जिससे इसमें 'क्षमता संवर्धन' और 'जवाबदेही' से संबंधित संकेतकों को जोड़ा गया। साथ ही, 26 संकेतकों को शामिल करके अंतरण सूचकांक को पंचायती राज की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक मज़बूत टूल बनाया गया। वार्षिक फील्ड सर्वेक्षण भी किए गए, जिससे एकत्रित डेटा की सत्यता सुनिश्चित की जा सके और मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार हो। निरंतर अध्ययन और संशोधनों के माध्यम से, अंतरण सूचकांक भारत में स्थानीय शासन के मूल्यांकन और सुधार के लिए एक प्रभावी टूल बन गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, पंचायत अंतरण सूचकांक विभिन्न संस्थानों द्वारा तैयार किया गया। वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) ने तैयार किया। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई।

नवीनतम पंचायत अंतरण सूचकांक-2024 रिपोर्ट

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) ने हाल ही में 'राज्यों में पंचायतों को अधिकारों के अंतरण की स्थिति-2024: एक संकेतक साक्ष्य आधारित रैंकिंग' शीर्षक से नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- कुल अंतरण वर्ष 2013-14 से 2022-23 के बीच 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है।
- 'क्षमता संवर्धन' सूचकांक इस अवधि में 44% से बढ़कर 54.6% हो गया, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह 21 अप्रैल, 2018 को शुरू किए गए 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (RGSA) के प्रभाव को दर्शाता है।
- इस अवधि के दौरान, अंतरण सूचकांक का 'कार्मिक' (Functionaries) आयाम 39.6% से बढ़कर 50.9% हो गया जोकि 10 प्रतिशत से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार और राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम हो सकती है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए अधिकारियों का भर्ती अभियान शामिल हैं।
- वित्तीय अंतरण का राष्ट्रीय औसत 2013-14 से 2022-23 के बीच 32.05 से बढ़कर 37.04 प्रतिशत हो गया है।

शीर्ष दस राज्य, जो पंचायत अंतरण सूचकांक (PDI) में 2015-16 और 2022-23 में अग्रणी रहे, निम्नलिखित हैं:

पंचायत अंतरण सूचकांक (PDI) के शीर्ष दस राज्य

वर्ष 2015-16	वर्ष 2022-23
केरल	कर्नाटक
महाराष्ट्र	केरल
कर्नाटक	तमिलनाडु
तमिलनाडु	महाराष्ट्र
गुजरात	उत्तर प्रदेश
सिक्किम	गुजरात
पश्चिम बंगाल	त्रिपुरा
तेलंगाना, हरियाणा	राजस्थान
मध्य प्रदेश	पश्चिम बंगाल
राजस्थान	छत्तीसगढ़

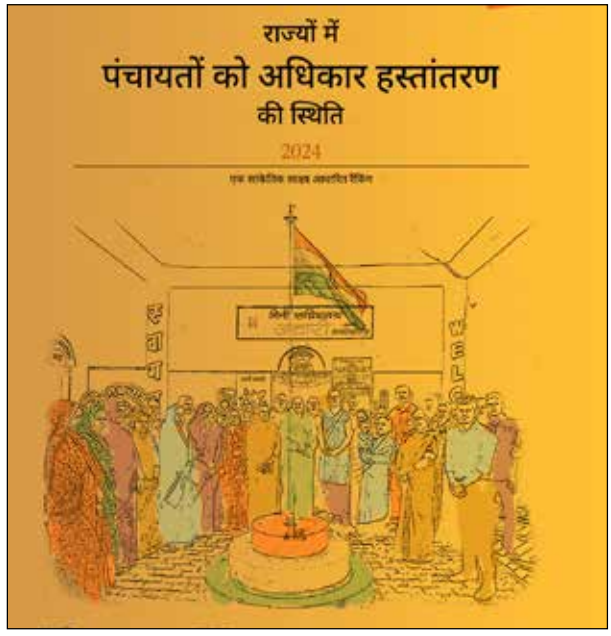

विभिन्न आयामों में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य

संरचना	केरल
कार्य	तमिलनाडु
वित्त	कर्नाटक
कार्मिक	गुजरात
क्षमता संवर्धन	तेलंगाना
जवाबदेही	कर्नाटक

पिछले मूल्यांकन के बाद, उत्तर प्रदेश 15वें स्थान से बढ़कर 5वें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि त्रिपुरा 13वें स्थान से बढ़कर 7वें स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में जवाबदेही के आयाम में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पंचायतों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। साथ ही, नियमित रूप से खातों के प्रकाशन और उनके ऑडिट की प्रक्रिया को सशक्त किया गया है। इसी अवधि में, त्रिपुरा ने पंचायतों को कर लगाने और राजस्व एकत्र करने के अधिकार देने तथा वित्त आयोग की सहायता सुनिश्चित करने के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है।

इसका विस्तृत तीन खंडों वाला प्रतिवेदन पंचायती राज मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.panchayat.gov.in पर उपलब्ध है।

अंतरण सूचकांक स्थानीय शासन की समग्र स्थिति का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। यह उन राज्यों को उजागर करता है जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, जिससे पंचायत प्रणाली को मज़बूत करने और अंतरण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित नीतियों का निर्माण संभव होता है। यह सूचकांक भारत

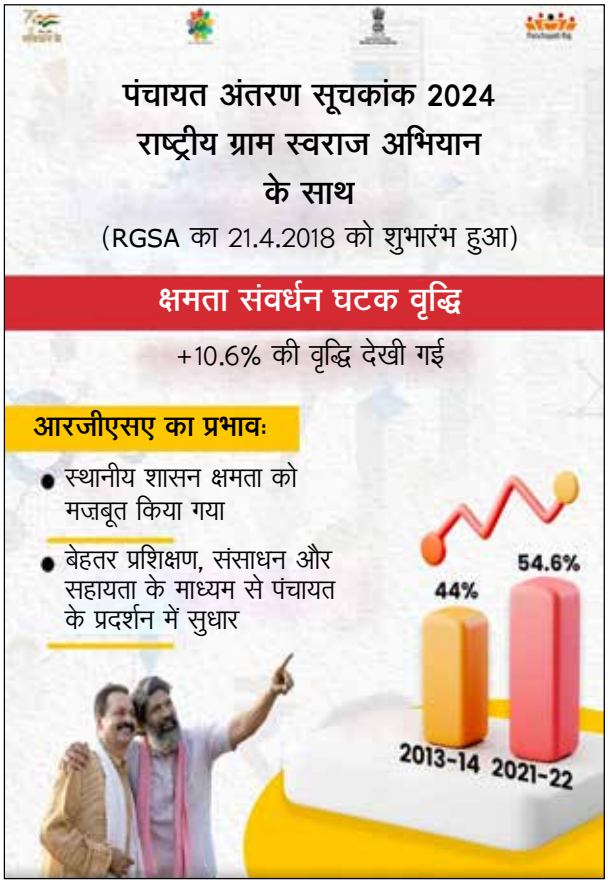

में स्थानीय स्वशासन के भविष्य पर अधिक सूचित चर्चाओं का आधार प्रदान करता है। अंतरण की स्थिति पर आंकड़े उपलब्ध कराकर, यह नीति निर्माताओं को मौजूदा कानूनों की प्रभावशीलता, संसाधनों के आवंटन और स्थानीय सरकारों को उनके संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने वाली नीतियों का मूल्यांकन करने की सुविधा देता है।

अंतरण सूचकांक केवल एक रैंकिंग नहीं है; यह लोकतांत्रिक, समावेशी और जवाबदेह स्थानीय शासन प्रणाली की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सामान्य नागरिकों के लिए यह पंचायतों के कार्य संचालन में पारदर्शिता और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए नीतिगत सुधार और जनहित समर्थन के लिए यह एक डेटा-आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सरकारी अधिकारियों के लिए यह अंतरण को मज़बूत करने और स्थानीय सरकारों को जनसेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान करने की क्षमता विकसित करने का एक रोडमैप उपलब्ध कराता है। इस सूचकांक का प्रकाशन नीतियों को साक्ष्य-आधारित बनाने और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के प्रति मंत्रालय की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि संविधान में निहित स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करने के लक्ष्य को साकार किया जा सके। ❑

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण का एक दशक

*सुशील कुमार लोहानी

पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की आधारशिला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इन संस्थाओं को मज़बूत बनाने के लिए अनेक पहल की हैं। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और सुशासित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे 'विकसित' पंचायतों के माध्यम से 'विकसित' भारत का निर्माण किया जा सके।

24 अप्रैल, 1993 भारतीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति ने 73वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी, जिससे पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा मिला। इस संशोधन ने संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243) जोड़ा, जिससे पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित हुई और उन्हें अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। इस संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, जिससे समाज के कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार, पंचायतों को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।

*अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय,भारत सरकार। ईमेल :s.lohani@nic.in

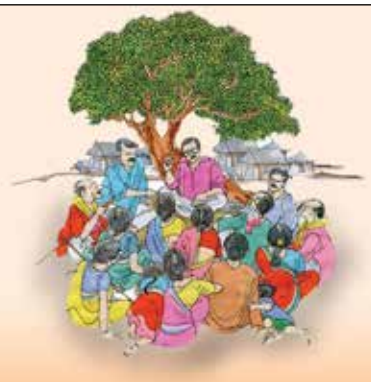

लोकतांत्रिक व्यवस्था में गांवों में स्थानीय शासन की अंतिम इकाई को 'ग्राम पंचायत' के नाम से जाना जाता है। यह अपने-अपने क्षेत्राधिकार के मतदाताओं द्वारा चुनी गई स्थानीय सरकार होती है।

देश की 2.7 लाख ग्राम पंचायतों के अधीन 6.5 लाख से अधिक गाँव आते हैं, जो देश की लगभग 64% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में, ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास का केंद्र बन गई हैं। हालाँकि 73वां संविधान संशोधन पिछले तीन दशकों से लागू है, लेकिन बीते दशक में पंचायती राज प्रणाली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे इन संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को गति मिली है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें लगभग 46% महिलाएं हैं। यह व्यवस्था ग्रामीण समुदायों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है। पंचायती राज संस्थाएं सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज़ी से हासिल करने और ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं सहित हाशिए पर खड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक साबित हुई हैं।

पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) लोकतंत्र की आधारशिला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इन संस्थाओं को मज़बूत बनाने के लिए अनेक पहल की हैं। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और सुशासित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे विकसित पंचायतों के माध्यम से विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। वर्ष 2014 से केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सर्वोत्तम संभव सहायता प्रदान करने के प्रयासों को तेज़ किया है, ताकि पंचायती राज के मूल उद्देश्यों को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके। पिछले एक दशक में, भारत सरकार ने PRIs के लिए वित्तीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और प्रमुख विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और मज़बूत बनाने के लिए कई पहल की हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। साथ ही, ये पहल पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने में सहायक है। अंततः इन प्रयासों से समावेशी विकास, आर्थिक प्रगति और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में योगदान मिलता है।

पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत बनाने में ग्राम सभा की भूमिका

ग्राम सभा स्थानीय स्वशासन में केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्राम पंचायतों के पारदर्शी और जवाबदेह संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक भागीदारी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की कुंजी है और इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ग्राम सभाओं को मज़बूत करना है, जिसमें नागरिकों की सक्रिय और प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए, प्रत्येक वर्ष कम से कम छह ग्राम सभा बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। इन बैठकों में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और किसानों सहित विभिन्न हितधारकों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। चर्चा के विषयों में विभिन्न सरकारी योजनाएं, परियोजनाओं की स्वीकृति, लाभार्थियों का चयन और विकास योजना शामिल होनी चाहिए। साथ ही, लागू की गई योजनाओं की नियमित समीक्षा भी की जानी चाहिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। सक्रिय विचार-विमर्श और निर्णयों के माध्यम से ग्राम सभा को सशक्त बनाना पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका है।

पंचायतों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

पंचायतें मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधीन आती हैं, क्योंकि 'स्थानीय सरकार' राज्य सूची का विषय है। प्रत्येक राज्य अपने पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से पंचायतों का संचालन करता है। भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 ऐसे विषय सूचीबद्ध हैं, जिन्हें राज्य विधानसभाएं पंचायतों को सौंप सकती हैं। ये विषय ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं, जैसेः

- कृषि
- भूमि सुधार एवं सुधार कार्य
- लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन
- मत्स्य पालन
- सामाजिक वानिकी एवं लघु वन उपज
- लघु एवं कुटीर उद्योग
- ग्रामीण आवास
- ग्रामीण सड़कें, पुल एवं जलमार्ग
- ग्रामीण विद्युतीकरण एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- शिक्षा
- बाजार एवं मेले
- स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं परिवार कल्याण
- महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव

सरकार इन ज़िम्मेदारियों को पंचायतों को सौंपकर ग्रामीण शासन को मज़बूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

पंचायती राज मंत्रालयः स्थानीय शासन को सशक्त बनाना

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की स्थापना 27 मई, 2004 को की गई थी, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन में अधिक प्रभावी, सक्षम और पारदर्शी बनाना है। यह मंत्रालय प्रशासनिक अवसंरचना को मज़बूत करने, ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) की क्षमता निर्माण और उन्हें प्रौद्योगिकी व जागरूकता के माध्यम से आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण

पंचायतों को आवंटित महत्वपूर्ण सार्वजनिक धन को देखते हुए, निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs) और विभिन्न पदाधिकारियों की क्षमता का विकास आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, MoPR ने 2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) लागू किया है। इस पहल के तहतः

- 1.11 करोड़ प्रतिभागियों, जिनमें निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत पदाधिकारी शामिल हैं, को प्रशिक्षित किया गया है।
- 2022-23 से 2024-25 के बीच 2,116.97 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- 2024-25 में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर अब तक 660 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

नेतृत्व प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए, MoPR ने प्रमुख संस्थानों जैसे IIM अहमदाबाद, IIM बोधगया, IIM जम्मू, IIM अमृतसर, IIM रोहतक, IRMA आनंद और IIT धनबाद के साथ भागीदारी की है। इन सहयोगों का उद्देश्य सामुदायिक नेताओं के कौशल को निखारना और उन्हें अपने विकास लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए सशक्त बनाना है।

सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान

सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान एक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण पहल है, जिसे 4 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है।यह अनूठी पहल ग्रामीण शासन में महिलाओं के नेतृत्व को मज़बूत करने के लिए शुरू की गई है, जिससे उनके निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाया जा सके और नीतियों एवं शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिले। इस अभियान के माध्यम से ज़मीनी

स्तर पर महिला नेतृत्व को प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे वे स्थानीय विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

पेसा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन

पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार संबंधी उपबंध) अधिनियम, 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को स्वशासन के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ बनी रही हैं, जैसे राज्य-विशिष्ट पेसा नियमों में देरी, प्रशिक्षण संसाधनों की कमी और सहायक राज्य कानूनों का अभाव। इन चुनौतियों से निपटने और पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने सभी पेसा राज्यों से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने, विभिन्न गतिविधियाँ और कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। यह अपनी तरह की नई पहल है, जिसका उद्देश्य संयुक्त और संगठित प्रयासों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पेसा अधिनियम के लाभ प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य उनकी जीवनशैली को सरल बनाना और उनकी वृद्धि एवं समृद्धि के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करना है, जो वर्तमान सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति के अनुरूप है। इस पहल के अंतर्गत पेसा अधिनियम की जानकारी बढ़ाने, हितधारकों का क्षमता निर्माण और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं के सुशासन को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वर्तमान में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने पेसा नियम तैयार कर लागू कर दिए हैं, जबकि ओडिशा और झारखंड ने अपने ड्राफ्ट पेसा नियम तैयार किए हैं। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रभावी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिए पेसा-जीपीडीपी पोर्टल विकसित किया है। साथ ही, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सात प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

थीम-आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

ग्राम पंचायतों को संविधान द्वारा विकास योजनाएं तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए लगभग 2.54 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास योजनाएँ (GPDP) तैयार की हैं। 13 मार्च 2025 तक, 1.89 लाख ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2025-26 के लिए अपनी योजनाएं बना ली हैं, और मार्च के अंत तक सभी ग्राम पंचायतों की योजनाएं तैयार हो जाने की संभावना है।

वर्तमान में पंचायती राज मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर भी इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDGs*) की दिशा में एक अभिनव पहल की है। इसके तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 विषयगत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे लक्षित विकास योजनाएं बनाई जा सकें। ये पहल केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को संसाधनों के एकीकरण और गतिविधियों के समन्वय के माध्यम से समग्र शासन और समाज की भागीदारी के दृष्टिकोण से लागू की जा रही है। नौ विषयगत क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1. **गरीबी मुक्त और आजीविका संवर्धित गाँव** – आय बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुनिश्चित करना।
2. **स्वस्थ गाँव** – 100% टीकाकरण, संस्थागत प्रसव और

Localisation of Sustainable Development Goals

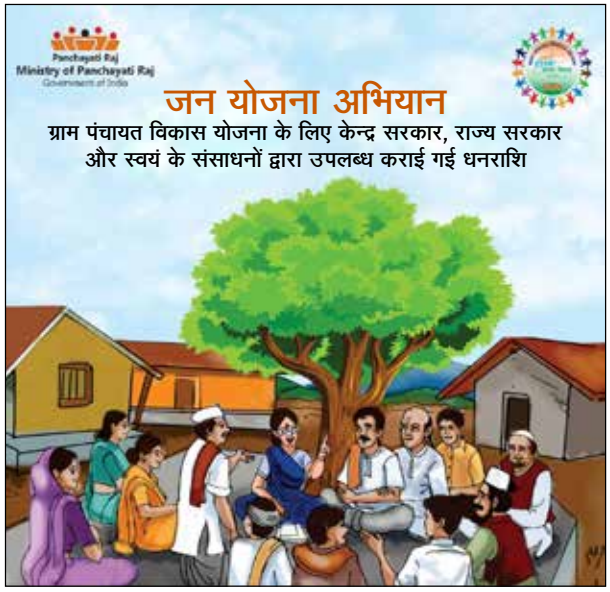

बेहतर स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना।

3. **बाल-अनुकूल गाँव** – शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉपआउट दर कम करना और बाल श्रम समाप्त करना।
4. **जल-सम्पन्न गाँव** – स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।
5. **स्वच्छ और हरित गाँव** – 100% खुले में शौचमुक्त (ODF) स्थिति प्राप्त करना और कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाना।
6. **स्वावलंबी बुनियादी ढाँचायुक्त गाँव** – सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करना।
7. **सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सुरक्षित गाँव** – वंचित वर्गों का समर्थन करना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
8. **सुशासित गाँव** – नियमित ग्राम सभाओं और समितियों के माध्यम से स्थानीय शासन को मजबूत बनाना।
9. **महिला अनुकूल गाँव** – मातृ स्वास्थ्य देखभाल, अपराध रोकथाम और शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

यह विषयगत दृष्टिकोण न केवल पंचायत स्तर पर समग्र और संतुलित विकास को सुनिश्चित करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

बुनियादी सेवाओं का प्रावधान

ग्राम पंचायतें ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता बनाए रखने जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा, वे जलस्रोतों– गाँव के कुओं, तालाबों और पंपों का रखरखाव करती हैं; साथ ही, सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी प्रणाली को भी संचालित करती हैं। ग्राम पंचायतें अपने नागरिकों के लाभ के लिए कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। इन कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग तथा विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से धन प्राप्त होता है। वर्तमान पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-2026 की अवधि के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सिफारिश की है।

ई-गवर्नेंस और आईसीटी पहल

पंचायती राज संस्थानों में ई-गवर्नेंस को मज़बूत करने और ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में मौजूद जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल, 2020 को एक सरलीकृत कार्य-आधारित लेखा अनुप्रयोग 'ई-ग्राम स्वराज' लॉन्च किया गया था। पंचायतों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने ई-ग्राम स्वराज को पीएफएमएस के साथ एकीकृत किया है। ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटरफेस (eGSPI) ग्राम पंचायतों के लिए विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान करने की एक अनूठी प्रणाली है। सभी लेन-देन सुरक्षित हैं, और भुगतान वाउचर द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों या समकक्ष निकायों ने 2024-25 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को तैयार किया है, और 2.63 लाख से अधिक पंचायतों (सभी स्तरों पर) को eGSPI से जोड़ा गया है, जिसमें 90% ग्राम पंचायतें सफलतापूर्वक ऑनलाइन लेनदेन कर रही हैं। e GSPI के माध्यम से अब तक 2.4 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन किए गए हैं, जो पारदर्शिता और कुशल वित्तीय लेन-देन की दिशा में एक सराहनीय उपलब्धि है।

पहले, ई-ग्राम स्वराज की उपलब्धता केवल अंग्रेज़ी में होने के कारण स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। इस मुद्दे को हल करने के लिए, मंत्रालय

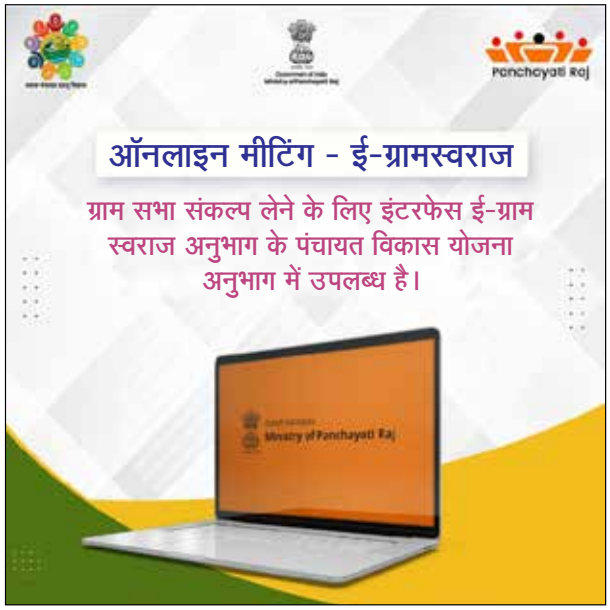

ने ई-ग्राम स्वराज को भाषिणी के साथ एकीकृत किया है, जिससे यह पोर्टल न केवल हिंदी और अंग्रेज़ी में बल्कि पिछले वर्ष से 20 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो गया है।

ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान

भारत में किसान अक्सर प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों का सामना करते हैं, और अचानक मौसम परिवर्तन की समय पर जानकारी न मिलने से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने की पहल की है।

इस पहल के तहत, ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की जानकारी अब मेरी पंचायत मोबाइल ऐप, ग्राम मानचित्र और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। यह महत्वपूर्ण पहल सरकार के 100 दिवसीय एजेंडा का हिस्सा है जोकि 'समग्र सरकार' दृष्टिकोण को दर्शाती है।

तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता

ई-ग्राम स्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जोड़ा गया है, जिससे पंचायतों को खरीद और लेखांकन में अधिक पारदर्शिता और सुगमता मिले। इसके अलावा, मंत्रालय एक ऑनलाइन प्रणाली भी प्रदान कर रहा है, जो विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों की सूची ई-ग्राम स्वराज पर प्रदर्शित करती है। वर्तमान में, 7 मंत्रालयों और 18 योजनाओं का डेटा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें लगभग 17 करोड़ लाभार्थियों की जानकारी शामिल है।

ऑडिट ऑनलाइन

यह एप्लिकेशन पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करने और ऑडिट में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने के लिए विकसित की गई है। ऑडिट अवधि 2023-24 के लिए 2.1 लाख से अधिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

नागरिक चार्टर अभियान

पंचायती राज मंत्रालय ने *मेरी पंचायत, मेरा अधिकार - जन सेवाएं हमारे द्वार* अभियान के तहत 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक नागरिक चार्टर अभियान चलाया। इसका उद्देश्य पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे जनता के प्रति जवाबदेह बनाना था। वर्तमान में, 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपना नागरिक चार्टर तैयार किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, जनकल्याण, रोज़गार आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की 954 सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

पंचायती राज संस्थाओं और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ाने के लिए, पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं। 2022 से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में सुधार किया गया है, ताकि उन्हें स्थानीयकरण हेतु सतत विकास लक्ष्य (LSDG) के नौ विषयों के अनुरूप बनाया जा सके।

संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के तहत सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों की LSDG विषयों के आधार पर रैंकिंग की जाती है। यह पंचायतों को अपनी स्थिति का आकलन करने और वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करने में सहायता करेगा।

पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:

1. दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार - किसी विशिष्ट LSDG विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए।

2. नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार – सभी 9 LSDG विषयों में समग्र प्रदर्शन के लिए।
3. इसके अतिरिक्त, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित ऊर्जा, और कार्बन न्यूट्रल पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुरस्कार श्रेणियां भी स्थापित की गई हैं।

इस वर्ष, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न पंचायतों को 42 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार और देश की 3 संस्थाओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

स्वामित्व योजना

स्वामित्व (SVAMITVA*) योजना को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बसे घरों के मालिकों को अधिकार अभिलेख (Record of Rights) प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति का सर्वे किया जाता है और उसके बाद संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं।

अब तक 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में यह कार्य पूर्ण रूप से किया जा चुका है। कुल 2.41 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जो लगभग 1.61 लाख गांवों को कवर करते हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, त्रिपुरा और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव के सभी आबादी वाले गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

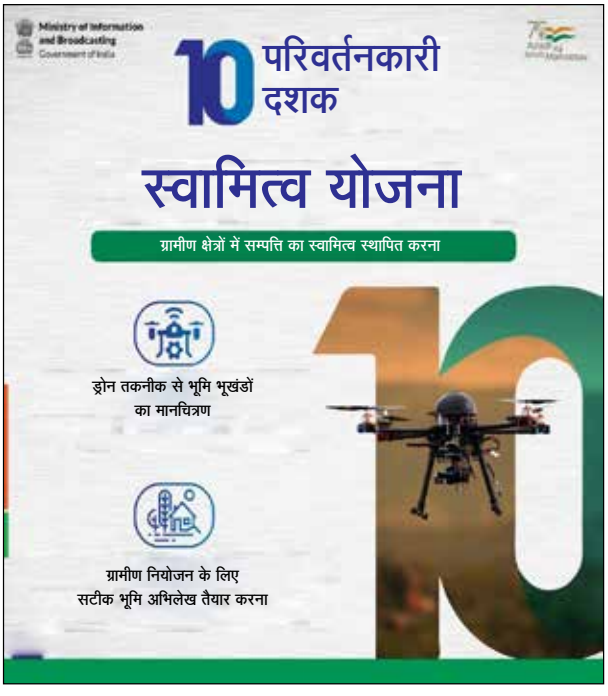

*SVAMITVA– Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas

यह अधिकार अभिलेख ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मुद्रीकरण (asset monetization) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निकट भविष्य में पंचायतों को संपत्ति कर मूल्यांकन एवं संग्रहण में मदद करेगा, जिससे उनकी राजस्व क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने के लिए, सभी हितधारकों को इन संस्थाओं की क्षमता पर विश्वास करना और उन्हें सशक्त बनाने में योगदान देना आवश्यक है। भारत सरकार इन संस्थाओं को वास्तविक अर्थों में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में सक्षम बनाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी। हालांकि, पंचायती राज एक राज्य विषय होने के कारण, राज्य सरकारों को भी इन संस्थाओं को 3Fs (Fund, Function, Functionaries) यानी पर्याप्त संसाधन, अधिकारों का उपयुक्त अंतरण और सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध कराना होगा, ताकि वे अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रभावी रूप से निभा सकें।

कई उदाहरण दर्शाते हैं कि समुचित संसाधनों से संपन्न पंचायतें विकास की इंजन रही हैं, जिन्होंने सामाजिक-आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, आपदा प्रबंधन, और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सशक्त ग्राम पंचायत लोगों तक सुशासन पहुँचाने में सहायक होती है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने में मदद मिलती है। ❑

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु सुनहरा अवसर।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ यथा–यू0पी0एस0सी0, बी0पी0एस0सी, अन्य राज्यों के सिविल सेवा परीक्षाओं, बिहार न्यायिक सेवा, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, बैंकिंग, रेलवे, एस0एस0सी0 आदि की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा/ साक्षात्कार की अग्रेत्तर तैयारी हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

इन प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि रू0 30,000/– (तीस हजार) से रू0 1,00,000/– (एक लाख) तक प्रदान की जाती है।

बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थी इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे।

प्रारंभिक परीक्षाफल प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।

आवेदन विभागीय पोर्टल scstonline.bihar.gov.in पर किया जा सकता है।

QR code स्कैन करें।

विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/scstwelfare/CitizenHome.html अथवा QR Code स्कैन कर प्राप्त किया जा सकता है।

KH-2785/2025

राज्य पंचायती राज अधिनियमों की पुनः समीक्षा ज़रूरी

*अमर नाथ एच. के.

राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार मुख्य रूप से, ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए कर और उपभोक्ता शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है। हाल ही में जारी पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट 2024 के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति तत्काल चिंता का विषय बनी हुई है। सबसे निचले स्थानीय शासन स्तर, अर्थात् ग्राम पंचायतों की गंभीर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि पहले उनके स्वयं के संसाधनों से राजस्व (OSR) संग्रह की इस चिंताजनक स्थिति के कारणों को समझा जाए, चूंकि ज़िला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय पंचायतों के पास राजस्व जुटाने की कोई या अत्यधिक सीमित शक्ति है।

73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को 'स्थानीय स्वशासन संस्थाएं' बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका उद्देश्य न केवल विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना था, बल्कि पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन और वित्तीय स्वायत्तता भी प्रदान करना था ताकि वे अपने स्वयं के राजस्व एकत्रित कर सकें और अपने दायित्वों को सही तरीके से निभा सकें। राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों (GPs) को कर और उपयोगकर्ता शुल्क लगाने की शक्ति दी गई है ताकि वे सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति कर सकें।

हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की रिपोर्ट (2024) में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि PRIs, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति काफी चिंताजनक है। वर्ष 2021-22 में देशभर के 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में उनके स्वयं के स्रोतों से अर्जित राजस्व (OSR) की औसत हिस्सेदारी मात्र 6% थी। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच प्रति व्यक्ति OSR औसतन केवल 59 रुपये दर्ज किया गया।

*सहायक प्रोफेसर एवं प्रमुख, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP), वित्त मंत्रालय का स्वायत्त संस्थान, भारत सरकार।
ईमेल : amarhk@gmail.com

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है कि वित्त वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में स्वयं के स्रोत से राजस्व की हिस्सेदारी मात्र 6.31% थी। उनकी 95% से अधिक प्राप्तियां केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर हैं, जिनमें केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान सबसे अधिक होता है।

पंचायती राज मंत्रालय के आग्रह पर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) द्वारा किए गए एक अध्ययन 'स्वयं के स्रोत से राजस्व (OSR) उत्पन्न करने के लिए एक व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी' में यह पाया गया कि पंचायतों में कम राजस्व संग्रहण के कई कारण हैं। केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी या ग्रामीण आबादी की कर भुगतान क्षमता कम होना ही इसकी मुख्य वजह नहीं हैं।

ग्राम पंचायतें, जो कि स्थानीय शासन का सबसे निचला और महत्वपूर्ण स्तर हैं, उनकी गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि उनके OSR संग्रहण में आई इस गिरावट के मूल कारणों को पहले समझा जाए। क्योंकि ज़िला और ब्लॉक स्तर की पंचायतों के पास राजस्व जुटाने

विभिन्न राज्यों में PRI's में कर लगाने एवं वसूलने का अधिकार

टैक्स	ZP		BP		GP	
	अधिकृत	लेवी	अधिकृत	लेवी	अधिकृत	लेवी
आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	6	3
गुजरात	8	-	8	-	8	2
कर्नाटक	-	-	-	-	8	3
मध्य प्रदेश	-	-	2	-	7	1
महराष्ट्र	4	-	-	-	7	4
ओडिशा	-	-	-	-	3	1
पश्चिम बंगाल	1	1	1	1	2	2
उत्तर प्रदेश	2	1	1	-	6	-
उत्तराखंड	-	-	2	-	6	-
पंजाब	-	-	1	-	2	-
राजस्थान	-	-	3	-	6	-
हरियाणा	-	-	-	-	3	-
झारखंड	2	-	2	-	4	-
बिहार	1	-	1	-	2	-
तेलंगाना	-	-	-	-	4	-
तमिलनाडु	-	-	1	-	5	-
केरल	-	-	-	-	8	-

विभिन्न राज्यों में PRI's में उपयोगकर्ता शुल्क और लेवी अधिकार

	ZP		BP		GP	
	अधिकृत	लेवी	अधिकृत	लेवी	अधिकृत	लेवी
आंध्र प्रदेश	3	3	-	-	11	9
गुजरात	7	-	7	-	13	7
कर्नाटक	2	-	2	-	24	2-
मध्य प्रदेश	1	-	3	2	14	7
महराष्ट्र	5	1	-	-	28	25
ओडिशा	-	-	1	1	13	8
पश्चिम बंगाल	5	-	9	5	24	13
उत्तर प्रदेश	12	5	9	-	6	2
उत्तराखंड	3	-	-	-	12	-
पंजाब	-	-	5	-	6	-
राजस्थान	4	-	1	-	2	-
हरियाणा	1	-	3	-	9	-
झारखंड	4	-	4	-	3	-
बिहार	4	-	5	-	5	-
तेलंगाना	1	-	1	-	3	-
तमिलनाडु	3	-	9	-	9	-
केरल	2	-	2	-	12	-

की बहुत सीमित शक्तियां हैं, इसलिए मुख्य ध्यान ग्राम पंचायतों पर देना होगा।

पहले, राज्य सरकारों ने राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर और उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार दिया है, जिनमें संपत्ति कर, वाहन कर, तीर्थयात्री कर, जल कर/उपयोग शुल्क, स्वच्छता कर/उपयोग शुल्क आदि शामिल हैं। हालांकि, यह अधिकार राज्यों के बीच काफी भिन्न है। 17 प्रमुख राज्यों में ग्राम पंचायतों को कर लगाने के दिए गए अधिकारों की संख्या अलग-अलग है। बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल में पंचायतों को केवल दो प्रकार के कर लगाने का अधिकार है, जबकि गुजरात, कर्नाटक और केरल में यह संख्या आठ तक जाती है। हालांकि, आठ राज्यों के हमारे अध्ययन में यह सामने आया कि ग्राम पंचायतें अपने अधिकार में दिए गए करों की तुलना में बहुत कम कर वसूलती हैं। उनके 'स्वयं के स्त्रोत से अर्जित राजस्व' (OSR) का संग्रह भी नगण्य है और यह कर मूल्यांकन की विधि पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश और ओडिशा क्रमशः सात और तीन में से केवल एक कर लगाते हैं और उत्तर प्रदेश को छह कर लगाने का अधिकार है, लेकिन वह कोई भी कर नहीं वसूलता। महाराष्ट्र सात में से चार कर वसूलता है, आंध्र प्रदेश छह में से तीन कर लगाता है और कर्नाटक आठ में से तीन कर वसूलता है। हालांकि कई राज्यों में ज़िला और ब्लॉक पंचायतों को भी कुछ उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में बहुत ही कम पंचायतें इसे लागू करती हैं।

पंचायती राज अधिनियमों के तहत ग्राम पंचायतों को कई प्रकार के उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार भी दिया गया है। अध्ययन में शामिल राज्यों में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, ग्राम पंचायतों को 10 से अधिक उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 6 शुल्क लगाने की अनुमति है। कर लगाने, मूल्यांकन करने और संग्रह की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और कार्यकारी आदेशों पर निर्भर करती है। कई बार, ग्राम पंचायतों के पास तकनीकी क्षमता या पर्याप्त जनशक्ति नहीं होती, जिससे वे इन शुल्कों को सही तरीके से लागू करने, मूल्यांकन करने और संग्रह करने में असमर्थ रहती हैं, साथ ही, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी एक प्रमुख कारण बनती है।

आठ राज्यों के फील्ड सर्वेक्षण में यह देखा गया कि केवल कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने ग्राम पंचायतों को कर और उपयोगकर्ता शुल्क का मूल्यांकन और संग्रह करने में सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, जहां ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में कर या उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का निर्णय लेती भी हैं, वहां भी कर आधार, मूल्यांकन की विधि और संग्रह की प्रक्रिया अपनी पूरी क्षमता पर नहीं होती। इसका मुख्य कारण कर आधार को परिभाषित करने, मूल्यांकन पद्धति तय करने और अन्य कानूनी विवादों से जुड़ी समस्याओं की समझ का अभाव है।

उदाहरण के लिए, कई राज्यों में संपत्ति कर का मूल्यांकन मनमाने तरीके से किया जाता है, जहां कर संग्रह की राशि निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं होता। यहां तक कि एक ही राज्य के विभिन्न ज़िलों में कर लगाने और मूल्यांकन की प्रक्रिया समान नहीं होती। कर्नाटक इस संदर्भ में एक आदर्श उदाहरण है, जहां राज्य सरकार सभी भवनों और खाली ज़मीनों का व्यापक सर्वेक्षण करती है और उपयोग के आधार पर—जैसे आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक—संपत्ति कर लगाती है। इसके अलावा, संपत्ति के निर्माण की गुणवत्ता और प्रकार के आधार पर कर निर्धारण किया जाता है। हालांकि, वेब-आधारित कर संग्रह प्रणाली उपलब्ध है, फिर भी कई ज़िलों में पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की कमी के कारण कर संग्रह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाया है।

हालांकि कर्नाटक मॉडल एक आदर्श उदाहरण है, लेकिन इसे अन्य राज्यों में अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त जनशक्ति और क्षमताओं की कमी है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति कर के अलावा जल कर, स्वच्छता कर आदि का संग्रह भी अधिकतर पंचायतों में बिना किसी निश्चित मानदंड के किया जाता है।

तीसरा, यदि समुदाय/सामुदायिक संपत्ति संसाधनों (CPRs) और सार्वजनिक सेवा प्रावधान की ज़िम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दी जाए, तो उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह में भारी वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, जहां पेयजल आपूर्ति अभी भी संबंधित विभागों के अधीन है। इसी तरह, छोटे वन क्षेत्र, जल निकायों सहित लघु सिंचाई व्यवस्था अभी भी वानिकी, सिंचाई, मत्स्य पालन

या राजस्व विभागों के अधीन हैं। यदि ग्राम पंचायतों को इन संपत्तियों का संरक्षक बना दिया जाए, तो वे न केवल इन संपत्तियों और सेवाओं का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकेंगी, बल्कि राजस्व भी जुटा पाएंगी।

चौथा, विवादित भूमि, सीमा निर्धारण और अतिक्रमण से जुड़े कानूनी पेंच भी महत्वपूर्ण मुकदमेबाज़ी लागत और संभावित राजस्व के नुकसान का कारण बनते हैं। कई राज्यों में अब भी विवादित और अवैध रूप से कब्जे वाली भूमि पर बने घरों से संपत्ति कर वसूलने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। ज़मीनी स्तर पर यह धारणा बनी हुई है कि ऐसी संपत्तियों पर संपत्ति कर या लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने से स्वामित्व का अधिकार मिल जाएगा। इस कारण, पंचायती राज संस्थाएं ऐसे मामलों में कर लगाने और राजस्व संग्रहण से हिचकती हैं। यही स्थिति उन इमारतों पर कर लगाने की है, जो कृषि भूमि या आवासीय क्षेत्र से बाहर की भूमि पर बनी हुई हैं।

पांचवां, राज्य वित्त आयोगों (SFC) का शीघ्र गठन और उनकी सिफारिशों का कार्यान्वयन भी पंचायती राज संस्थाओं की राजस्व स्थिति को मज़बूत कर सकता है, लेकिन कई राज्य इस दिशा में रुचि नहीं दिखाते। उनकी सिफारिशों के आधार पर कुछ राज्य स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, मनोरंजन कर और व्यवसाय कर से प्राप्त अधिभार को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इन राजस्व स्त्रोतों (जैसे स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क) की आय को शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को भी सौंपते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह केवल शहरी निकायों को ही दिया जाता है। इसी तरह, कर्नाटक में व्यवसाय कर को केवल शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा जाता है, न कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को।

अंततः अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायतें पर्याप्त जनशक्ति की दीर्घकालिक कमी से जूझ रही हैं। आमतौर पर, एक ग्राम पंचायत में केवल एक या दो राज्य-नियुक्त कर्मचारी होते हैं, जो विकास कार्यों के साथ-साथ अपने स्त्रोतों से राजस्व उत्पन्न करने की ज़िम्मेदारी भी संभालते हैं। कई मामलों में, एक ग्राम पंचायत सचिव को कई ग्राम पंचायतों का प्रबंधन करना पड़ता है, जिससे वह मुख्य रूप से योजना-आधारित विकास कार्यों में व्यस्त रहता है और अपने राजस्व को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पाता।

यदि केंद्र और राज्य सरकारें प्रभावी अंतरण का एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहती हैं, जहां ग्राम पंचायतें बुनियादी सेवाओं के रखरखाव को अपने संसाधनों से संभाल सकें और पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सकें, तो इस रिपोर्ट में पहचानी गई कुछ प्रमुख बाधाओं को दूर करना आवश्यक है–

1. राज्य पंचायती राज अधिनियमों की समीक्षा करना, साथ ही उन नियमों, दिशानिर्देशों और संशोधनों को देखना जो लंबे समय से अपडेट नहीं किए गए हैं।

2. स्पष्ट गतिविधि मैपिंग और सार्वजनिक सेवा प्रावधान तथा सामुदायिक संपत्तियों (CPRs) का ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को हस्तांतरण,
3. विभिन्न करों और उपयोगकर्ता शुल्क के आधार और मूल्यांकन को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण संबंधी आदेश जारी करना,
4. विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक जनशक्ति को बढ़ाना,
5. ज़िला स्तर पर एक समर्पित इकाई स्थापित करना, जो पंचायतों की क्षमता निर्माण में सहायता कर सके, ताकि वे पंचायती राज अधिनियमों को समझ सकें, तकनीकी रूप से सशक्त हो सकें और संपत्ति कर, जल शुल्क और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शुल्क के मूल्यांकन की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर सरल और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

सार्वजनिक सेवा प्रावधानों और सामुदायिक संपत्तियों (CPRs) से राजस्व जुटाकर ग्राम पंचायतों को अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है; साथ ही, संपत्ति कर मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जल आपूर्ति प्रणालियों को लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में ग्राम पंचायतों द्वारा संपत्ति कर लगाना (जहां अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं है), उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों पर लाइसेंस शुल्क लगाने का अधिकार ज़िला पंचायतों से ग्राम पंचायतों को सौंपना आदि।

यह रिपोर्ट एक स्पष्ट और व्यावहारिक वित्तीय मॉडल प्रस्तुत करती है, जो पंचायती राज संस्थाओं की राजस्व जुटाने की क्षमता को परिभाषित करता है। यह राजस्व बढ़ाने के लिए सशर्त अनुदानों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक है। रिपोर्ट में ऐसे सभी उपायों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मज़बूत हो सके और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकें। ❑

SUBSCRIPTION FORM

Tick (✓) appropriate column

Print version Plans		
6 months	Rs. 265/-	( )
1 year	Rs. 530/-	( )
2 Year	Rs. 1000/-	( )
3 Year	Rs. 1400/-	( )

E-version Plans		
6 months	Rs. 200/-	( )
1 year	Rs. 400/-	( )
2 Year	Rs. 750/-	( )
3 Year	Rs. 1050/-	( )

( ) **Employment News**

( ) **Rozgar Samachar–Hindi**

( ) **Rozgar Samachar–Urdu**

Demand Draft/Cheque should be in favour of 'Employment News'. Attach original copy of Demand Draft/Cheque with the form

Please fill all the details in CAPITAL Letters

Name: _____

Postal Address: _____

_____ Pin Code: _____

Landline Ph.:_____ Mobile:_____

Email Id: _____

Send the filled form to:
Employment News,
Room No. 783, 7th Floor,
Soochna Bhawan,
Lodhi Road, New Delhi-110003

For daily updates:
www.employmentnews.gov.in
www.rozgarsamachar.gov.in

Online payment facility is also available for both plans.

Scan & Pay

@Employ_News **@EmploymentNews** **www.eneversion.nic.in**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस में कूटनीतिक कदम

10-12 फरवरी 2025

1 एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की

- राष्ट्रपति मैक्रों के साथ सह-अध्यक्षता की
- सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई के लिए **भारत-फ्रांस एआई रोडमैप** लॉन्च किया गया

2 गतिशील द्विपक्षीय सहयोग

- प्रधानमंत्री मोदी की **छठी फ्रांस यात्रा**
- मार्सिले में **भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन** किया गया
- भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया जाएगा
- **जलवायु परिवर्तन के लिए भारत-यूएई मैंग्रोव गठबंधन** में शामिल हुआ **फ्रांस**
- प्रधानमंत्री मोदी ने **मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल** में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की

3 रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को मजबूती

- भारत **यूरोड्रोन MALE कार्यक्रम** में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल
- रक्षा नवाचार के लिए **FRIND-X** का शुभारंभ
- **डीआरडीओ-ओएनईआरए अनुसंधान एवं विकास साझेदारी** को मजबूत किया गया
- **एनएसजी-जीआईजीएन आतंकवाद विरोधी सहयोग** में वृद्धि
- **परमाणु ऊर्जा** सहयोग पर विशेष गौर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस, फ्रांस में 11 फरवरी, 2025 को एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया

नए शि
भार
विदेश

प्रधानमं
द्वारा फ्रां
अमेरिका
मजबूत संबं

प्रधानमंत्री नरेंद्र
अमेरिक

खर पर
त की
नीति

त्री मोदी
स और
के साथ
धों को बढ़ावा

मोदी व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी में
के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ

अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी की प्रभावशाली रणनीति

12-13 फरवरी 2025

1

रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के लिए नई यूएस-इंडिया COMPACT पहल की शुरुआत

रक्षा एवं सुरक्षा

- **अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी** के लिए 10 वर्षीय रूपरेखा
- एआई-सक्षम रक्षा तकनीक के लिए **ASIA गठबंधन** की शुरुआत
- **टाइगर ट्रायंफ** अभ्यास का विस्तार
- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स और खुफिया** साझेदारी को मजबूत किया गया

व्यापार एवं निवेश - 'मिशन 500'

- 2030 तक **व्यापार को दोगुना** कर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य
- **द्विपक्षीय व्यापार मामलों** पर वार्ता फॉल 2025 के लिए निर्धारित
- अमेरिका में **भारत के $7.35 बिलियन के नए निवेश**

प्रौद्योगिकी और नवाचार - 'यूएस-इंडिया ट्रस्ट' पहल

- **एआई** इंफ्रास्ट्रक्चर रूपरेखा
- अंतरिक्ष, ऊर्जा और तकनीकी साझेदारियों के लिए **इंडस-एक्स**
- **नासा-इसरो:** आईएसएस और एनआईएसएआर पृथ्वी-मानचित्रण मिशन के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री

2

ऊर्जा एवं स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा

- **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत की पूर्ण सदस्यता** के लिए अमेरिका का समर्थन
- **अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते** में प्रगति

3

बहुपक्षीय और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा का बढ़ता दायरा

- क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार के लिए **क्वाड को बनाया मजबूत**
- बुनियादी ढांचे और वाणिज्य के लिए **हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम**
- अमेरिका ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
- पाकिस्तान से 26/11 और पठानकोट हमलावरों पर कार्रवाई करने की मांग
- समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए **कम्बाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में शामिल हुआ भारत**

4

लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा

- **3 लाख भारतीय छात्रों** का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 8 अरब डॉलर का योगदान
- दोहरे डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से **उच्च शिक्षा संबंधों को किया गया मजबूत**
- प्रोफेशनल्स और पर्यटकों के लिए **कानूनी गतिशीलता सुव्यवस्थित**
- तस्करी, संगठित अपराध और साइबर खतरों के खिलाफ साझा प्रयास

CBC 22201/13/0041/2425

KH-2780/2025

सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती 'स्वामित्व' योजना

*डॉ. बिजय कुमार बेहेरा

स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज़ीकरण करने के लिए संपत्ति कार्ड जारी करना है, जिससे वित्तीय समावेशन और सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह योजना ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को मज़बूत करती है। सटीक भूमि अभिलेख बेहतर शासन की नींव रखते हैं, जिससे डेटा-आधारित निर्णय लेने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता मिलती है।

भूमि किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। लेकिन ग्रामीण भारत के बसे हुए इलाके (आबादी भूमि) लंबे समय तक उचित भूमि सुधारों से वंचित रहे हैं। इन इलाकों में वैज्ञानिक तरीके से भूमि का सर्वेक्षण और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था नहीं थी।

सीमित सर्वेक्षणों और सटीक मानचित्रों की अनुपलब्धता के कारण लोगों को संपत्ति के स्वामित्व को लेकर अनिश्चितता, कानूनी विवादों और बैंकों से ऋण लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जो अक्सर संपार्श्विक जमा करने पर निर्भर होते हैं। चूंकि भूमि को बैंक से कर्ज़ लेने के लिए एक मज़बूत संपार्श्विक (गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति) माना जाता है, इसलिए स्पष्ट और सही ढंग से दर्ज की गई भूमि बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मददगार होती है। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए *स्वामित्व* योजना शुरू की गई, जिसके तहत राजस्व या पंचायती राज अधिनियमों के तहत संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं। ये संपत्ति कार्ड लोगों के भूमि स्वामित्व को आधिकारिक रूप से दर्ज करते हैं, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में मदद मिलती है।

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य

*आर्थिक सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। ईमेल : behera.bk@nic.in

गाँवों के बसे हुए क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 'स्वामित्व का आधिकारिक रिकॉर्ड' (Record of Rights) प्रदान करना है। यह पहल ग्रामीण संपत्तियों की आर्थिक क्षमता को उजागर करने और समग्र ग्राम-स्तरीय योजना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही यह योजना भूमि प्रबंधन प्रणाली में बदलाव ला रही है और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। शुरुआत में, इसे पॉयलट परियोजना के रूप में छह राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में लागू किया गया। 11 अक्टूबर, 2020 को 763 गाँवों में लगभग एक लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। पॉयलट परियोजना की सफलता के बाद, 24 अप्रैल, 2021 को इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया। अब तक 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण सुनिश्चित हुआ है।

देशभर में करोड़ों संपत्ति कार्ड बनाए और वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 2.41 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जो 1.61 लाख से अधिक गांवों को कवर करते हैं। इस योजना की सफलता में ड्रोन तकनीक की अहम भूमिका रही है। हाई-रिज़ोल्यूशन नक्शे तैयार किए जाते हैं, जिससे संपत्तियों की सटीक पहचान और सीमांकन किया जा सकता है। यह तकनीकी हस्तक्षेप संपत्ति के दस्तावेज़ीकरण को पारदर्शी, सटीक और कुशल बनाता है।

सटीक भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध होने से संपत्ति विवाद कम हो रहे हैं, जिससे गांवों में सामाजिक समरसता बढ़ रही है और न्यायालयों पर बोझ कम हुआ है। इसके अलावा, संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई आर्थिक संभावनाएं सामने आ रही हैं।

अब संपत्ति मालिक अपनी भूमि का उपयोग बैंक ऋण लेने के लिए कर रहे हैं, जिससे वे व्यापार बढ़ाने, बेहतर घर बनाने या कृषि उत्पादकता सुधारने में निवेश कर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भरता घट रही है और वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है।

यह पहल सरकार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। यह योजना

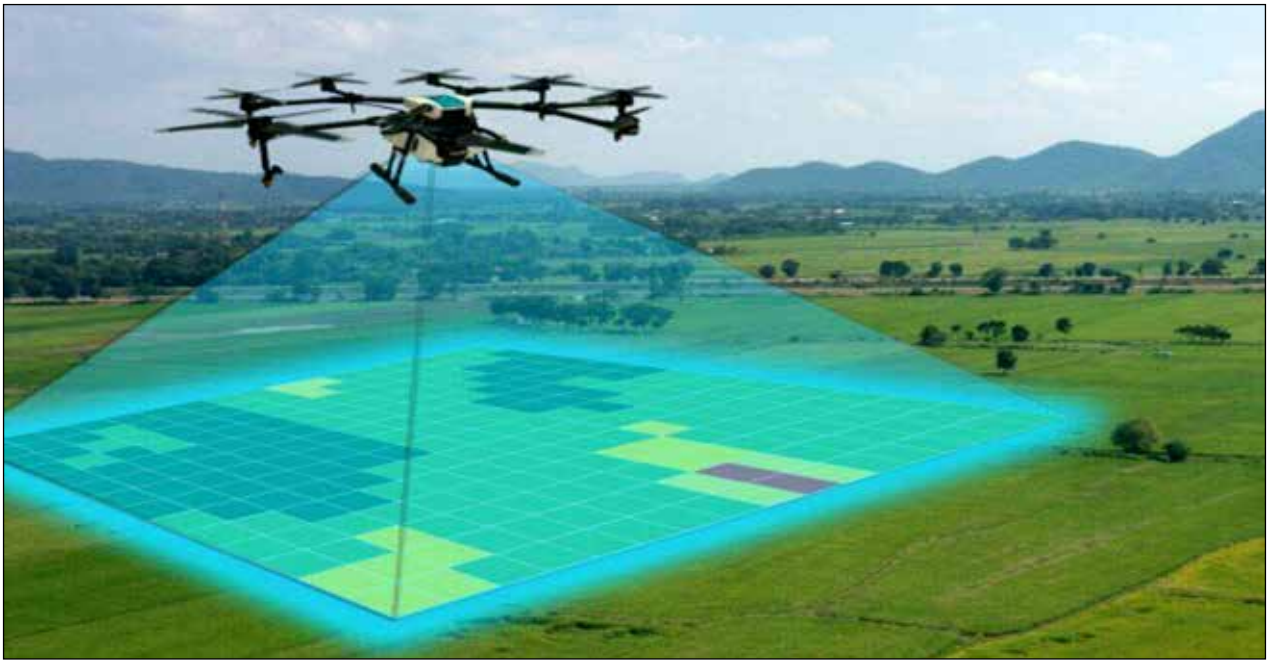

उद्यमिता, रोज़गार और व्यवसाय के नए अवसरों को जन्म दे रही है। स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण संपत्तियों का मौद्रीकरण यह साबित करता है कि तकनीकी नवाचार किस तरह से ग्रामीण परिवारों को सशक्त बना सकते हैं और 'विकसित भारत' की दिशा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मज़बूत कर सकते हैं।

वित्तीय सशक्तीकरण और समावेशन से परे, जिसमें महिलाओं के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में संपत्ति कार्ड जारी कर लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है, स्वामित्व योजना संगठित ग्राम विकास को भी गति दे रही है। विस्तृत नक्शों के निर्माण से स्थानिक योजना को समर्थन मिलता है और पंचायतों में विकास नियंत्रण विनियमन लागू करने की प्रक्रिया को मज़बूत किया जाता है। ये उपाय अनियोजित विकास को व्यवस्थित रूप देते हैं और भूमि के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।

भवन अनुमति प्रणाली की स्थापना से सुरक्षा मानकों में सुधार होता है और मज़बूत व सुंदर संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। यह पहल सतत विकास लक्ष्य 11 के अनुरूप है, जो 'टिकाऊ शहरों और समुदायों' को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नियोजित विकास और सतत प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करके,

स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों और बेहतर जीवन गुणवत्ता के केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।

यह योजना ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को मज़बूत करती है। सटीक भूमि रिकॉर्ड बेहतर शासन का आधार बनते हैं, जिससे डेटा-आधारित निर्णय लेने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलती है। इसके अलावा, भवन अनुमति प्रणाली, संपत्ति कर की गणना और संग्रहण जैसी पहल से पंचायतों की अपनी आय बढ़ती है, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मज़बूती मिलती है।

जैसे-जैसे यह योजना आगे बढ़ रही है, यह नवाचारी नीतियों और तकनीकी हस्तक्षेप की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन रही है। स्वामित्व योजना के माध्यम से, समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का सपना धीरे-धीरे साकार हो रहा है। इस योजना की सफलता इसके निरंतर विकास की मांग करती है। वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग से ऋण प्राप्ति को और सरल बनाया जा सकता है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसी नई तकनीकों के समावेशन से ग्रामीण योजना के लिए डेटा विश्लेषण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना की रूपरेखा उन अन्य देशों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है, जो भूमि प्रबंधन से जुड़ी समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका इसे ग्रामीण विकास के लिए तकनीक के उपयोग में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करती है। ❑

‘मेरी पंचायत’ एप्लिकेशन – ग्रामीण लोकतंत्र का प्रहरी

*सुनीता जैन

‘मेरी पंचायत’ मोबाइल ऐप का उद्देश्य ग्रामीण निवासियों, सरपंचों, पंचायत प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और पंचायती राज से जुड़े सभी लोगों को उनकी पंचायत की जानकारी, अपडेट और सेवाएँ आसान और सुविधाजनक तरीके से उनकी पसंदीदा भाषा में उपलब्ध कराना है।

पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों, राज्य निकायों और एजेंसियों के सहयोग से पंचायत संस्थाओं को सशक्त बनाने और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप उनके प्रयासों को संरेखित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

भारत सरकार और विभिन्न राज्य मंत्रालय, विभाग तथा संस्थान पंचायत निवासियों और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। इन पहलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे का विकास, निर्माण कार्य, विकास परियोजनाएं, नागरिक सेवाएं और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। विभिन्न सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों के माध्यम से योजना बनाना, कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और जनता तक जानकारी पहुँचाने की प्रक्रिया सुगम बनाई गईं।

हालांकि, एक समान पोर्टल और मोबाइल ऐप की अनुपस्थिति के कारण, पंचायतों से जुड़ी जानकारी और सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध नहीं थीं। निवासियों, जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को अपनी पंचायतों से संबंधित जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कई वेबसाइटों को विज़िट करना पड़ता था, जिससे यह कार्य चुनौतीपूर्ण हो जाता था।

हाल के वर्षों में, स्मार्टफोन और इंटरनेट की आसान उपलब्धता ने पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और निवासियों के बीच डिजिटल जागरूकता और आकांक्षाओं को काफी बढ़ा दिया है। अब वे अपनी पंचायतों के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपने स्मार्टफोन के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करना चाहते हैं। इन आकांक्षाओं और उभरती आवश्यकताओं के जवाब में, पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिकों को उनकी पंचायतों के कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाने हेतु ‘मेरी पंचायत’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

मेरी पंचायत मोबाइल ऐप का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, ग्राम प्रधान (सरपंच), अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायतों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों और पंचायती राज प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों को उनकी पंचायतों से संबंधित जानकारी, अपडेट और सेवाएं उनकी पसंदीदा भाषा में सरल,

*वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, भारत सरकार। ईमेलः jain.sunita@nic.in

सुगम और उपयोगकर्ता अनुकूल रूप में प्रदान करना है। इस ऐप पर उपलब्ध जानकारी, जिसमें पंचायतों द्वारा लिए गए निर्णय, निर्माण और विकास परियोजनाओं का विवरण और पंचायत निधियों का उपयोग शामिल है, से जनता में पंचायत गतिविधियों के प्रति रुचि और जागरूकता उत्पन्न होने की उम्मीद है। इससे नागरिक पंचायत की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी और शासन में योगदान के लिए प्रेरित होंगे।

'मेरी पंचायत' के मिशन का केंद्रबिंदु सहभागिता आधारित शासन (पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस) को बढ़ावा देना है, जिससे निवासियों को अपनी पंचायत की विकास योजना को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिले। इस मंच के माध्यम से, निवासियों को योजनाओं और गतिविधियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा; साथ ही, प्रस्तावित कार्यस्थलों की जियो-टैग्ड तस्वीरें अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, निवासी चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा और रेटिंग में भाग लेकर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकते हैं। वे जियो-टैग की गई छवियों के माध्यम से इन परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में भी योगदान दे सकते हैं।

मेरी पंचायत ऐप कैसे डाउनलोड करें

नागरिक Android या iOS प्लेटफार्म से मेरी पंचायत ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया बेहद सरल है– उपयोगकर्ता को केवल अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और OTP के माध्यम से सत्यापन करना होगा। यह प्रक्रिया सिर्फ एक बार पूरी करनी होती है। इसके बाद, पंचायत के निवासी अपनी स्थानीय भाषा में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

पंचायत जानकारी तक एकीकृत पहुँच

'मेरी पंचायत' ऐप विभिन्न पोर्टलों पर बिखरी हुई पंचायत संबंधी जानकारियों और कार्यों को एक सिंगल, उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफार्म पर समेकित करता है। अब निवासी, निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत कर्मी अपनी ग्राम पंचायतों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं:

- **पंचायत प्रोफ़ाइल:** जनसंख्या, क्षेत्रफल और स्थानीय शासन संरचना की जानकारी।
- **निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी:** सरपंच, ग्राम प्रधान और पंचायत से जुड़े सरकारी अधिकारियों के संपर्क विवरण और उनकी भूमिकाएं।
- **विकास परियोजनाएं और वित्तीय जानकारी:** चल रही और पूर्ण हुई परियोजनाओं का वास्तविक समय डेटा, निधि आवंटन, व्यय और बैंक खाते से संबंधित लेन-देन।

इस ऐप के माध्यम से जानकारी तक आसान और सहज पहुँच सुनिश्चित की गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिक स्थानीय शासन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

नागरिक भागीदारी और सामाजिक लेखा परीक्षा

इस ऐप की एक प्रमुख विशेषता सहभागी शासन पर ज़ोर देना है। निवासी पंचायत की विकास योजनाओं में शामिल होने के लिए परियोजनाओं और गतिविधियों का सुझाव दे सकते हैं और अपने सुझावों का समर्थन करने के लिए प्रस्तावित स्थलों की जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। सहभागिता आधारित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि विकास पहल समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

इसके अलावा, यह ऐप सामाजिक लेखा परीक्षा की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे नागरिक विकास कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी कर सकते हैं। यह सुविधा समुदाय द्वारा निगरानी को बढ़ावा देती है, पारदर्शिता को मजबूत करती है और स्थानीय प्रशासन को विकास कार्यों के निष्पादन के लिए जवाबदेह बनाती है।

बेहतर पहुँच और उपयोगकर्ता अनुभव

ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए, 'मेरी पंचायत' ऐप को सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है:

- **बहुभाषी समर्थन:** ऐप अनेक भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे पूरे भारत के उपयोगकर्ताओं की विविध भाषायी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है।
- **सरल पंजीकरण:** नागरिक केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके OTP सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं।
- **स्थान-आधारित सेवाएं:** ऐप सटीक मौसम पूर्वानुमान और अन्य स्थान-विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है, जिससे नागरिकों को अपने दैनिक कार्यों और निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

इन विशेषताओं के माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से ऐप का उपयोग कर सकते हैं और अपनी पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सुशासन को बढ़ावा देना

'मेरी पंचायत' ऐप नीतिगत स्तर पर सुशासन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में कार्य करता है:

- **जवाबदेही लागू करना:** ऐप कोष के उपयोग और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है, जिससे पंचायत अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाता है।
- **जनभागीदारी को प्रोत्साहन:** यह मंच नागरिकों को योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी सहित विभिन्न शासन प्रक्रियाओं में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** पंचायत गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन की व्यापक पहुँच से नागरिकों को स्थानीय शासन की बेहतर समझ प्राप्त होती है।

इन उपायों के माध्यम से यह ऐप पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को मजबूत करता है, जिससे सतत और समावेशी ग्रामीण विकास के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान मिलता है।

निष्कर्ष

'मेरी पंचायत' मोबाइल ऐप ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में तकनीकी नवाचार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह ऐप जानकारी तक एकीकृत पहुँच, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास कार्य ग्रामीण निवासियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। ❑

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ई-रिसोर्स एग्रीगेटर (ईआरए)

के एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

सरकार के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से जुड़ने और उसके ई-प्रकाशनों के विक्रय का सुनहरा अवसर

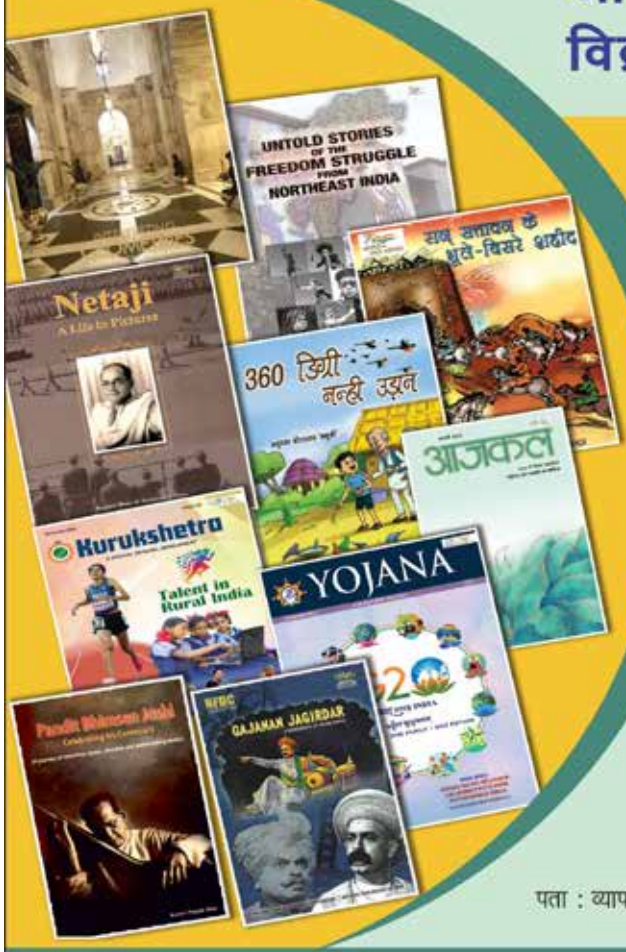

प्रमुख लाभ :-

- प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय ई-पुस्तकें और ई-पत्रिकाएं उपलब्ध कराने का अवसर।
- प्राप्त राजस्व में 30% की निश्चित हिस्सेदारी।
- किसी निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मात्र 2000 रुपये का पंजीकरण शुल्क।

अधिक जानकारी के लिए देखें –
www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com
पता : व्यापार स्कंध, कमरा संख्या–758, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

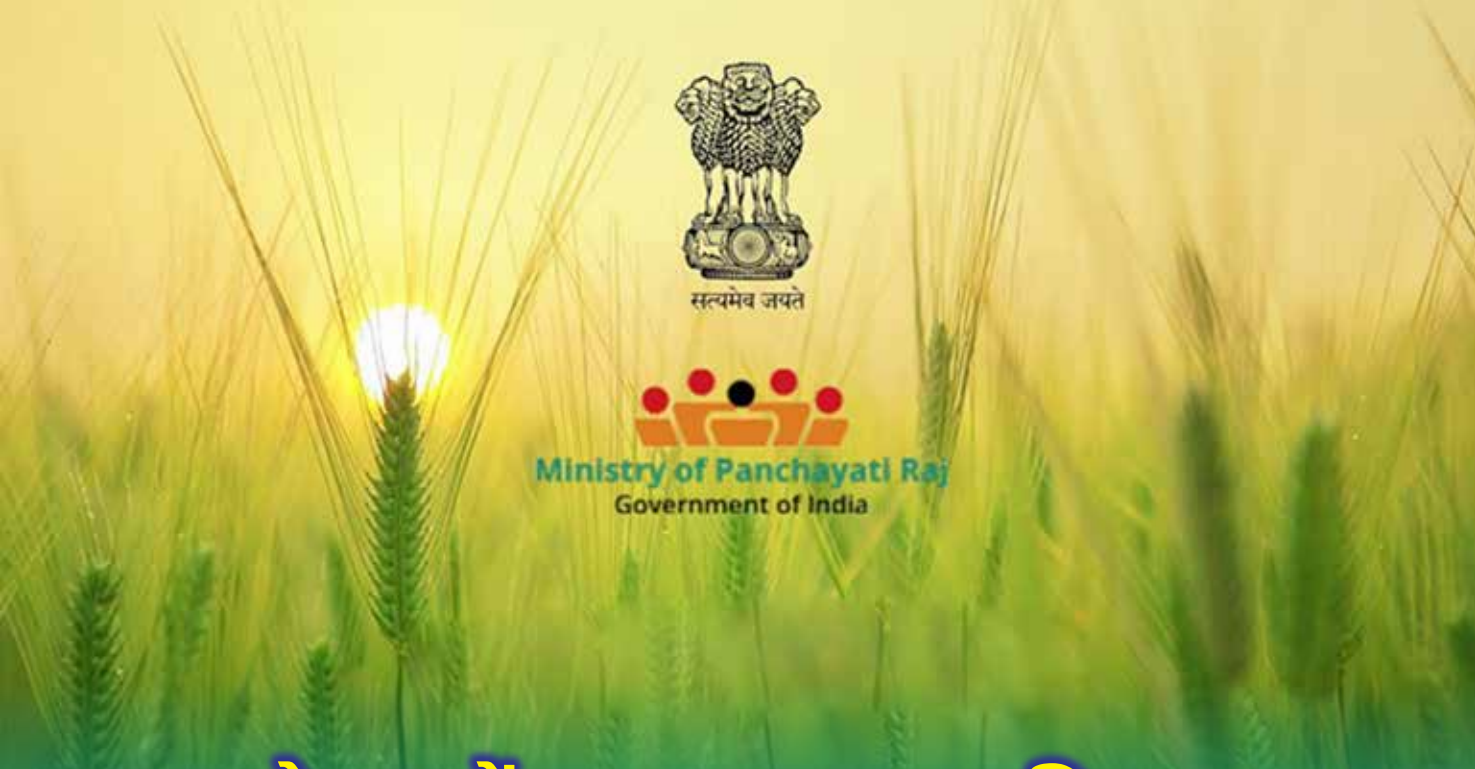

ग्राम योजना में सहायक ग्राम मानचित्र

*मीनू अरोड़ा

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। विकसित भारत का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय शासन को सशक्त बनाना है, और इसे प्रभावी ग्राम पंचायतों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। इस दृष्टि में ग्राम मानचित्र (भौगोलिक दृश्यांकन एवं योजना टूल) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित यह तकनीक ग्रामीण योजना और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह ग्रामीण और शहरी योजनाओं के बीच के अंतर को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में सहायक होती है।स्थानीय स्वशासन में स्थानिक योजना का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है, जिससे ग्राम पंचायतों का कार्य अधिक प्रभावी और उत्तरदायित्वपूर्ण बन सकता है।

पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पंचायत विकास योजना (पीडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है, जिसके लिए उन्हें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना होता है। पीडीपी की योजना प्रक्रिया व्यापक और सहभागी होनी चाहिए, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों/लाईन विभागों की योजनाओं के साथ पूर्ण समन्वय शामिल हो।

प्राचीनकाल से ही पंचायतें स्थानीय स्वशासन की आधारशिला रही हैं। वे गांव स्तर के मुद्दों जैसे भूमि वितरण, कर संग्रह और विवादों के निपटारे में कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां रखती थीं। हालांकि वे औपचारिक सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं थीं।

संविधान के अनुच्छेद 243G में पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है और उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का दायित्व दिया गया है। स्थानीय सरकार के रूप में, ग्राम पंचायतों (जीपी) की ज़िम्मेदारी है कि वे नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करें और गरीबों व हाशिए पर रहने वाले लोगों की समस्याओं को दूर करें। जीपी विकास योजना आदर्श रूप में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका फोकस स्थानीय विकास संबंधी मुद्दों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं

* वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, भारत सरकार। ईमेल : m_arora@nic.in

की स्थानीय धारणा, समस्याओं और समाधानों का स्थानीय विश्लेषण, स्थानीय संसाधन प्रबंधन तथा एक सामूहिक स्थानीय दृष्टिकोण पर केंद्रित होना चाहिए।

पिछले दो दशकों में, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ज़मीनी स्तर पर सहभागी योजना प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की गई हैं। हालांकि संसाधनों की कमी, अपर्याप्त सुविधा और क्षमता की कमी जैसी विभिन्न चुनौतियों के कारण अंतरण की गति बाधित हुई है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को योजना निर्माण के लिए भारी धनराशि प्रदान की है।

भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण योजना और विकास में सहायक

भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण योजना और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह ग्रामीण और शहरी योजना के अंतर को दूर करने में मदद करती हैं और इसे अधिक प्रभावी बनाती हैं। स्थानीय स्वशासन में स्थानिक योजना के उपयोग से ग्राम पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।

यह तकनीक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने और उनके सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। इससे पूरी योजना प्रक्रिया में निष्पक्षता आती है। उन्नत जीआईएस (GIS) तकनीकों और प्रक्रियाओं के उपयोग से लोगों की आवश्यकताओं का तेज और सटीक आकलन किया जा सकता है तथा स्थानीय आबादी के कल्याण के लिए सुविधाओं के सर्वोत्तम स्थान की पहचान की जा सकती है।

जीआईएस प्रौद्योगिकी और भौगोलिक सर्वेक्षण स्वास्थ्य केंद्र, कॉलेज, स्कूल, पशु चिकित्सा अस्पताल, व्यावसायिक/प्रशिक्षण केंद्र आदि के लिए सही स्थान की पहचान करने और उनकी आवश्यकताओं को निर्धारित करने में उपयोगी हो सकते हैं जिससे स्थानीय लोगों के उत्थान और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

विकसित भारत के लिए ग्राम मानचित्र

'विकसित भारत' भारत सरकार की एक व्यापक विज़न योजना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। यह योजना विभिन्न विकास क्षेत्रों को कवर करती है, जिसमें गांवों का विकास भी शामिल है।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विकसित भारत का उद्देश्य प्रभावी ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन को सशक्त बनाना है। ग्राम मानचित्र (भौगोलिक दृश्यांकन और योजना उपकरण) इस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहः

- स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर उन्हें ऐसे प्रयास करने में सक्षम बनाता है, जिससे अंतरण के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार हो।
- डिजिटल इंडिया पहल के लक्ष्यों के अनुरूप डिजिटल टूल्स के एकीकरण को सुनिश्चित करता है, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े।

ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन को एक दृश्यांकन और योजना टूल के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर गांव की योजना बनाने के उन्नत फीचर शामिल हैं। ग्राम पंचायत/गांव को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से विभिन्न योजना टूल विकसित किए गए हैं। इन टूल्स का उपयोग पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण में किया जा रहा है, साथ ही, ब्लॉक/ज़िला स्तर की सांख्यिकीय जानकारी को भी इसमें शामिल किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने योजना निर्माण के लिए एक बहु-स्तरीय ढांचा विकसित किया है, जिसे 'भारत मैप्स' कहा जाता है। यह ढांचा ग्राम पंचायत और

परिसम्पत्ति रिपोर्ट

सम्पर्क आकलन

गांव स्तर तक प्रशासनिक सीमाओं को समाहित करता है और इसमें 1:10,000 स्केल पर आधारभूत संरचना लेयर्स शामिल की गई हैं। साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बैंकिंग और डाक सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख परिसंपत्तियों का डेटाबेस तैयार किया गया है।

ग्राम मानचित्र एक वेब-आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) एप्लिकेशन है, जिसे इस ढांचे के आधार पर विकसित किया गया है। इसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख योजना ई-ग्राम स्वराज के साथ समेकित किया गया है। इसे ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने हेतु इसमें विभिन्न स्थानिक योजना और विश्लेषण टूल शामिल किए गए हैं।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने इस परियोजना के आरंभ में स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के तहत आबादी क्षेत्र के ड्रोन सर्वेक्षण डेटा उपलब्ध कराने में मुख्य भूमिका निभाई है। इस उपलब्ध कराए गए डेटा को संगठित और विश्लेषण हेतु तैयार किया जाता है, ताकि इसे ग्राम मानचित्र विश्लेषण टूल में इनपुट के रूप में उपयोग किया जा सके। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 3.5 लाख आबादी क्षेत्रों के ड्रोन इमेज/वेक्टर डेटा प्रदान किए गए हैं, जिन्हें ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन में विश्लेषण और योजना निर्माण के लिए जोड़ा जा रहा है।

विज़न

ग्राम पंचायतों के सशक्त प्रशासन और प्रभावी योजना बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जिससे गांवों को स्वाबलंबी बनाया जा सके।

डिजिटल प्रौद्योगिकी, सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय शासन संरचनाओं के साथ समेकित रूप से कार्यान्वित की जाए तो यह गांवों में जीवन की गुणवत्ता को सर्वोत्तम स्तर पर पहुँचा सकती है, जिससे आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रत्येक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखकर समाधानों को अनुकूलित करना आवश्यक है, ताकि उनके सफल क्रियान्वयन और दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके।

टूल्स और ग्राम योजना

ग्रामों / ग्राम विकास अधिकारियों के दैनिक योजना कार्यों में सहायता करने के लिए विकसित किए गए योजना टूल्स निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किए जा सकते हैं:

परिसंपत्ति रिपोर्ट टूल – चयनित ज़िला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत में उपलब्ध सभी परिसंपत्तियों का सारांश योजना निर्माण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपलब्ध है। इसे ज़िला/ब्लॉक पंचायत स्तर पर रिपोर्ट निर्माण के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। यह चयनित ब्लॉक/ग्राम पंचायत में वर्तमान परिसंपत्तियों का समग्र दृश्य प्रदान करता है। परिसंपत्तियों की कमियों को योजना निर्माण गतिविधियों के दौरान उपयोग किया जा सकता है, और प्रभावी ग्राम योजना के लिए रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

परिसंपत्ति रिपोर्ट

संपर्क आकलन – ग्राम पंचायत/गांव में मौजूद सड़कों के प्रकार (चौड़ाई) के आधार पर वाहन नेविगेशन की व्यवहार्यता के लिए एक उपकरण जोड़ा गया है। यह किसी भी ग्राम पंचायत/गांव में परिवहन को सुगम बनाने में मदद करता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं, फायर ट्रकों आदि की आवाजाही बेहतर होती है। यह ग्राम पंचायत/गांव के लिए उचित वाहन चयन में भी सहायता करता है।

संपर्क दिखाते हुए

स्ट्रीट लाइट आकलन – प्रयुक्त लाइट के प्रकार और उसकी रोशनी के अनुसार, ग्राम पंचायत की चयनित सड़क के लिए आवश्यक प्रकाश स्तंभों की संख्या का अनुमान प्रदान किया जाता है। यह टूल ग्राम पंचायत/गांव के उन क्षेत्रों की पहचान

करता है जहां स्ट्रीट लाइट लगाने की आवश्यकता है। यह टूल उस प्रकाश स्रोत के प्रकार के आधार पर अनुमानित प्रकाश स्तंभों की संख्या प्रदान करता है जो उस क्षेत्र को रोशन करने के लिए आवश्यक होंगे।

स्ट्रीट लाइट टूल

सड़क विश्लेषण– सड़क की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर, इसके निर्माण का अनुमान स्थानिक विशेषताओं के साथ प्रदान किया जाता है। यह उपकरण ग्राम/ब्लॉक योजनाकारों को सड़क आवश्यकताओं का आकलन करने और अनुमानित लागत प्रदान करने में मदद करता है।

सड़क पूर्वानुमान टूल

आबादी क्षेत्रों की प्रोफ़ाइल – SVAMITVA सर्वेक्षण के तहत ड्रोन तकनीक से तैयार किए गए डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) का उपयोग करके अधिक सटीक स्तर पर सतह प्रोफ़ाइल तैयार की जाती है।

सौर ऊर्जा अनुमान टूल – ग्राम पंचायतों में नवीकरणीय ऊर्जा) के रूप में सौर ऊर्जा की संभावित उत्पन्न क्षमता का आकलन किया जाता है। ग्राम पंचायत की सतत ऊर्जा उत्पादन क्षमता का आकलन करने से बिजली स्टेशनों से ली जाने वाली विद्युत ऊर्जा की खपत कम की जा सकती है। यह उपकरण योजनाकारों को छत के प्रकार– RCC / टाइल वाली छत, टिन शीट्स और अन्य प्रकारों के आधार पर आकलन करने में सहायता करता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि कितने घरों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सौर ऊर्जा अनुमान टूल

सौर वाहन नेविगेशन– यह उपकरण योजनाकारों को ग्राम पंचायत / ब्लॉक के भीतर किसी विशेष वाहन के प्रवेश की योजना बनाने में मदद करता है। इससे वाहन के गंतव्य पर पहुँचने के बाद सड़क अवरोध को रोकने में सहायता मिलती है।

स्रोत से गंतव्य तक वाहन नेविगेशन

जलवायु डेटा एकीकरण– जलवायु टूल वर्तमान तापमान, वर्षा बादल आवरण (सापेक्ष आर्द्रता और हवा की गति की जानकारी प्रदान करता है। यह प्रत्येक घंटे, 3 घंटे और 6 घंटे के लिए पूर्वानुमान भी प्रदान करता है। ❑

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल प्रबंधन

*अरुणलाल के.

जल, जो किसी भी विकास गतिविधि का अपरिहार्य घटक है, का सर्वोत्तम प्रबंधन स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। भारत के दूरदर्शी नेतृत्व ने बहुत पहले ही गांवों और पंचायत प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान लिया था। संविधान के 73वें संशोधन ने इस अवधारणा को संस्थागत रूप दिया और जल प्रबंधन गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सशक्त बनाया। यह लेख भारत में जल प्रबंधन को सुधारने में PRIs की भूमिका और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आगे के मार्ग पर चर्चा करता है।

"पंचायत" शब्द का अर्थ "पांच की सीट" (पञ्च -panca, "पांच" + आयतन - ayatana, "abode, seat") है और इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। पंचायत प्रणाली की अवधारणा प्राचीन भारत में मौजूद थी और इसका इतिहास काफी पुराना है। वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम ने इस प्रणाली को एक नया और व्यापक आयाम प्रदान किया और पंचायतों को संविधान की अनुसूची XI के तहत सूचीबद्ध विषयों से निपटने के लिए सशक्त बनाया, जिसमें पेयजल, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण विकास शामिल हैं। यह संशोधन सत्ता के अंतरण, सहभागी दृष्टिकोण और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन की अवधारणा को एकीकृत करने की दिशा में पहला ठोस कदम था।

वर्तमान में, पूरे देश में लगभग 2.69 लाख पंचायतें कार्यरत हैं, जो लगभग 95.66 करोड़ की जनसंख्या को कवर करती हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2023 में प्रकाशित पहली जल निकाय जनगणना के अनुसार, देश में चिह्नित 24.25 लाख जल निकायों में से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। यह दर्शाता है कि पंचायती

*लेखक एक अनुभवी जल संसाधन विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में सिंचाई विभाग, केरल सरकार में इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं।
ईमेलः arunlal.tkm@gmail.com

राज संस्थाओं (PRIs) की देश में जल प्रबंधन और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

संविधान की अनुसूची XI में 29 कार्य सूचीबद्ध हैं, जिन्हें पंचायतों को सौंपा जा सकता है, जिनमें से कई जल उपलब्धता से सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे कि कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि। पंचायतों के अंतर्गत जलग्रहण विकास परियोजनाएं जल संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक बन गई हैं।

'जहां पानी गिरे, वहीं रोके' टिकाऊ जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हालांकि यह मुख्य रूप से वर्षा जल संचयन को संदर्भित करता है, लेकिन इसका दायरा स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन तक विस्तृत है, ताकि कम से कम परिवहन लागत में जल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

पंचायती राज संस्थाओं की अपेक्षित भूमिकाएं

PRIs को जल प्रबंधन में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने की अपेक्षा की जाती है:

- संगठनों (स्थायी समितियों, उपसमितियों और विभागीय समितियों) की स्थापना, विकास और सुदृढ़ीकरण करना ताकि जल से संबंधित विभिन्न चिंताओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- ग्राम सभाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि जल से संबंधित निर्णयों का आधार व्यापक हो।
- सभी ग्राम पंचायत निवासियों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना ताकि जल संसाधनों की स्थापना और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- जल निकायों के संरक्षण को बढ़ावा देना और अतिक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और इस प्रकार लैंगिक समानता का मार्ग प्रशस्त करना।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन

सिंचाई क्षेत्र उपलब्ध जल संसाधनों का लगभग 90% उपयोग करता है। सहभागी सिंचाई प्रबंधन (PIM) का उद्देश्य किसानों की भागीदारी को सिंचाई प्रणाली प्रबंधन के सभी चरणों में शामिल करना है ताकि सिंचित कृषि की दक्षता, स्थिरता और प्रदर्शन में सुधार किया जा सके। PIM के तहत, सरकारी एजेंसियां खेत स्तर तक सिंचाई नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव करती हैं, जबकि किसान या लाभार्थी खेत स्तर पर जल वितरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव की ज़िम्मेदारी निभाते हैं। यह जल उपयोगकर्ता संघों के गठन को भी शामिल करता है और यह मान्यता देता है कि किसान सिंचाई जल के प्राथमिक उपयोगकर्ता और प्रबंधक हैं और उन्हें निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। अनुभव बताता है कि यदि किसान सिंचाई प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो जल उपयोग दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होता है। यह सिंचित क्षेत्र के विस्तार और अधिक किसानों तक सिंचाई जल की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद करता है। यह अवधारणा तभी प्रभावी हो सकती है जब पंचायती राज संस्थाएं सक्रिय रूप से लाभार्थियों की आवाज़ को मंच प्रदान करें और उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करें।

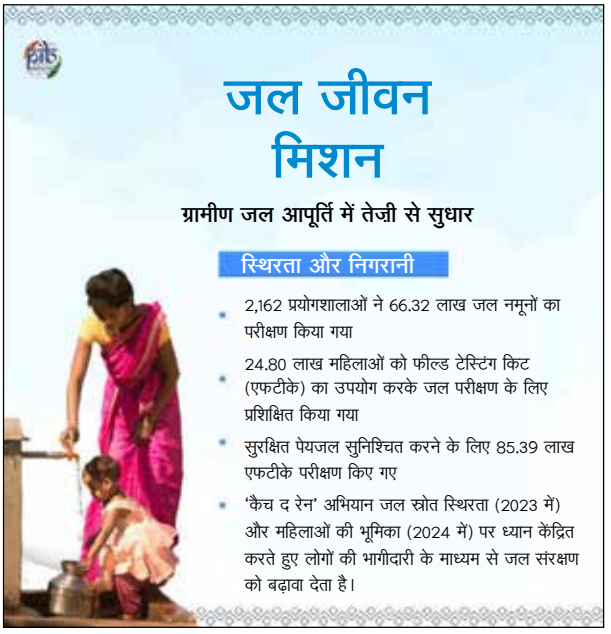

ग्रामीण पेयजल योजनाएं

स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक पहुँच स्वस्थ समुदाय के लिए आवश्यक है। ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली का प्रबंधन राज्य सरकार और ग्राम पंचायत के बीच किसी विकल्प या चुनाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसी प्रबंधन प्रणाली कर मूलभूत दृष्टिकोण है जिसमें सरकार और ग्राम पंचायत के बीच पूर्ण सहयोग स्थापित किया जाता है। राज्य सरकार और ग्राम पंचायत की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित और एक-दूसरे से अलग हैं। यह आवश्यक है कि दोनों इसे समझें और स्वीकार करें।

राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर की सरकारों ने 1970 के दशक से ग्रामीण पेयजल क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया। फिर भी, 2019 में घरेलू पाइप जल आपूर्ति कवरेज केवल 17% थी। भारत सरकार ने 2019 में जल जीवन मिशन योजना शुरू की ताकि सभी ग्रामीण घरों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

PRIs ग्राम पंचायतों के माध्यम से, ग्राम कार्ययोजना तैयार करने और अनुमोदित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो गांव में सभी जल आपूर्ति और संबंधित कार्यों के लिए मुख्य दस्तावेज़ है। इसके अलावा, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (VWSCs) योजना निर्माण, कार्यान्वयन की निगरानी, संचालन और रखरखाव में शामिल होती हैं। VWSCs समुदाय को संगठित करने, शिक्षित करने और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ताकि पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ग्राम सभाओं को निम्न विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

i. कितना पेयजल आवश्यक है?
ii. इसके स्रोत क्या हैं?
iii. गांव के लिए किस प्रकार की जल आपूर्ति योजना उपयुक्त होगी?
iv. उपभोक्ता शुल्क क्या होगा?
v. हाशिए पर मौजूद वर्गों को कौन-सी सब्सिडी दी जा सकती है?

ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकाय

जल निकाय ताज़े जल संसाधनों का अभिन्न अंग हैं। तकनीकी रूप से, सभी प्राकृतिक या मानव-निर्मित इकाइयाँ जो चारों ओर से सीमाबद्ध होती हैं और जिनका उपयोग सिंचाई या अन्य उद्देश्यों (जैसे औद्योगिक, मत्स्य पालन, घरेलू/पेयजल, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि) के लिए किया जाता है, जल निकायों के रूप में मानी जाती हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने छठी लघु सिंचाई जनगणना के साथ पहली जल निकाय जनगणना की और 2023 में आंकड़े प्रकाशित किए। इस जनगणना के अनुसार, सूचीबद्ध 24,24,540 जल निकायों में से 97.1% (23,55,055) ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% (69,485) शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल निकायों (10,85,805) में से 62.4% (6,77,003) जल निकायों का स्वामित्व पंचायतों के पास है।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जल निकाय संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की नेतृत्वकारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने जल निकायों के सुधार और स्थायित्व पर केंद्रित विभिन्न योजनाएं चलाई हैं।

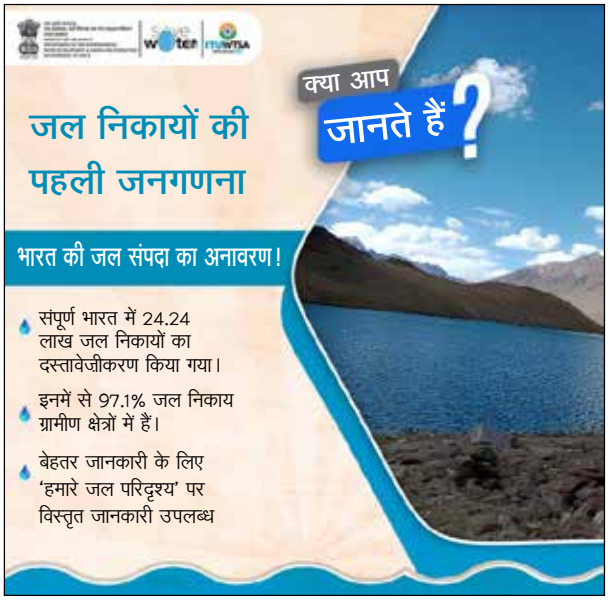

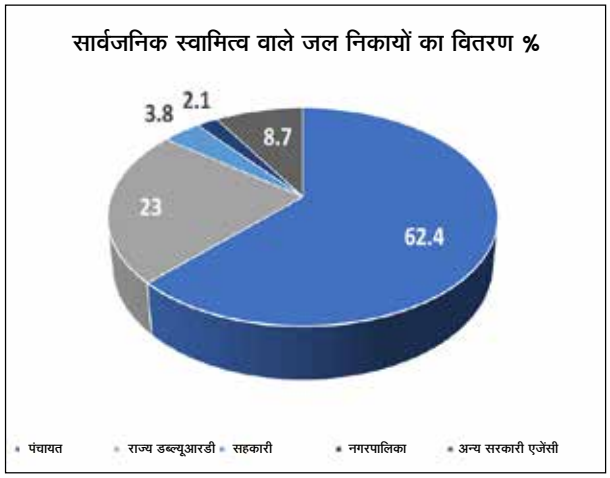

केंद्र प्रायोजित योजना 'जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनर्स्थापन (RRR)' प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) – हर खेत को पानी (HKKP) का एक घटक है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को चिह्नित जल निकायों के नवीकरण, मरम्मत और पुनर्स्थापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के उद्देश्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब PRIs सक्रिय रूप से जल निकायों की पहचान, योजना निर्माण, कार्यान्वयन की निगरानी और भविष्य के रखरखाव में भाग लें।

जल निकायों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वाटरशेड (जलग्रहण क्षेत्र) का उपचार और प्रबंधन आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन के लिए वाटरशेड मूलभूत इकाई होती है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार और उप-राष्ट्रीय स्तर की सरकारों ने वाटरशेड प्रबंधन के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें–

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY)

- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)
- नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना (NNWP)

RRR योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में IWMP के साथ जोड़कर लागू किया जाना प्रस्तावित है, ताकि चयनित जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्र पहले से उपचारित माइक्रो/मिनी वाटरशेड में स्थित हों या अगले एक-दो वर्षों में उपचार के लिए चुने गए हों।

मनरेगा और जल संरक्षण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा)पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के माध्यम से लागू की जाती है। इसमें जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं से संबंधित सार्वजनिक कार्यों का प्रावधान है, जिनका उद्देश्य भूजल स्तर को बढ़ाना और सुधारना है। इस योजना के तहत भूमिगत डायक्स, मिट्टी के बांध, चेकडैम और सार्वजनिक भवनों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है।

2014 में, मनरेगा अनुसूची-I में संशोधन किया गया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि कम से कम 60% व्यय कृषि और संबंधित गतिविधियों पर किया जाएगा। परिणामस्वरूप, इस अधिनियम के तहत अनुमेय कार्यों की सूची में अब लगभग 75% गतिविधियाँ शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जल सुरक्षा और जल संरक्षण प्रयासों में सुधार करती हैं।

मनरेगा के तहत जल संरक्षण कार्यों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) कार्यों में शामिल किया गया है। NRM घटक के तहत किए गए व्यय का वितरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2: ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग (FC) के अनुदान का वर्षवार विवरण

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
अनुदान (करोड़ रुपये में)	44901	46513	47018	49800	48573	236805

तालिका 1: मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) घटक में व्यय का प्रतिशत

क्रम सं.	वर्ष	NRM व्यय का प्रतिशत (सार्वजनिक + व्यक्तिगत)
1	2023 - 24	33.49 %
2	2022 - 23	65.40 %
3	2021 - 22	65.34 %
4	2020-21	64.52 %
5	2019 - 20	61.88 %
6	2018 – 19	58.80 %

यह तालिका दर्शाती है कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में व्यय का बड़ा हिस्सा जाता है, विशेष रूप से 2019-20 से 2022-23 तक यह 60% से अधिक बना रहा, लेकिन 2023-24 में इसमें गिरावट देखी गई।

ग्राम स्तर पर जल बजटिंग

'जल बजट' किसी क्षेत्र या ग्राम पंचायत में पानी की आवश्यकता और उपलब्धता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। विभिन्न जल स्रोतों और जल आपूर्ति योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के बाद, ग्राम जल सुरक्षा योजना टीम (जिसमें VWSCs, संबंधित अधिकारी, स्वयंसेवक आदि शामिल होते हैं) ग्राम पंचायत के साथ मिलकर जल बजट तैयार करती है, जो स्रोत स्थिरता योजना के निर्माण में मदद करता है।

जल बजटिंग से तीन प्रमुख लाभ होते हैं:

i. यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि ग्राम पंचायत को विभिन्न स्रोतों से कितना पानी उपलब्ध है और इसे विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कितना पानी चाहिए।

ii. यह उपलब्धता और मांग के बीच की खाई को पाटता है। इसके बाद, ग्राम पंचायत को समुदाय के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपयोगों के लिए जल आपूर्ति की प्राथमिकता तय करनी होती है। मानव और पशुओं के लिए पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बाद ग्राम पंचायत कृषि, उद्योग आदि अन्य क्षेत्रों के लिए आवश्यकतानुसार आवंटन कर सकती है।

iii. यह विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध पानी और आवश्यक पानी के बीच की खाई की पहचान करता है और उसे मात्रात्मक रूप से दर्शाता है। इसके आधार पर 'जल स्रोत स्थिरता योजना' तैयार की जाती है, जिसमें पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की पहचान की जाती है।

15वें वित्त आयोग के अनुदान

15वें वित्त आयोग ने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की रीढ़ के रूप में मान्यता दी और संविधान निर्माताओं की इस सोच को रेखांकित किया कि पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सशक्त किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया है। इसमें से 60% अनुदान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता के लिए आरक्षित किया गया है। 40% अनुदान बिना शर्त रखा गया है, जिसे पंचायती राज संस्थाएं अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार मूलभूत सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर सकती हैं।

इस दूरदर्शी दृष्टिकोण से ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। स्थानीय सरकारें जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनका उद्देश्य घरों में पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित करना और खुले में शौच को समाप्त करना है।

भूमिगत जल क्षेत्र

भूमिगत जल कृषि, पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन कई क्षेत्रों में इसका अत्यधिक दोहन होता है। इस समस्या का समाधान लोगों की भागीदारी से ही संभव है। अटल भूजल योजना, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सतत भूजल प्रबंधन पर केंद्रित है और इसमें सामुदायिक भागीदारी और मांग-आधारित हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना में ग्राम पंचायतों को जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

योजना को सरकारी एजेंसियों, जिला कार्यान्वयन भागीदारों और सहयोगी संगठनों के माध्यम से लागू किया जाता है ताकि

समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और जल सुरक्षा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो सके। इस योजना की वित्तीय सहायता को वितरण से जुड़े संकेतकों (DLIs) के साथ जोड़ा गया है। इनमें सामुदायिक नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी पर 15% प्रोत्साहन निधि और जल उपयोग दक्षता को अपनाने की प्रक्रिया पर 40% प्रोत्साहन निधि निर्धारित की गई है। इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव होगा जब PRIs सक्रिय भूमिका निभाएं।

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय संदर्भ में लागू करने की प्रक्रिया को एसडीजी का स्थानीयकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत वैश्विक लक्ष्यों को (SDGs) स्थानीय आवश्यकताओं, संदर्भों और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जाता है। जल और स्वच्छता से संबंधित एसडीजी 6 के स्थानीयकरण का उद्देश्य

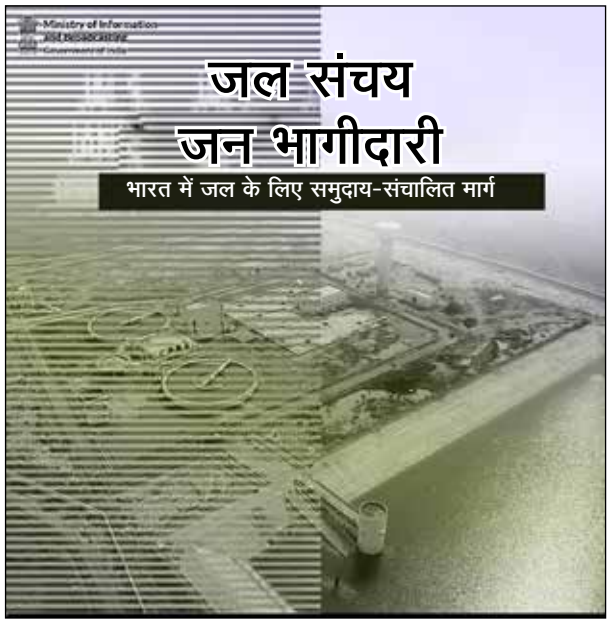

है कि राष्ट्रीय नीतियों को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए और स्थानीय प्रशासन और समुदायों को इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्षम बनाया जाए।

इससे न केवल ग्रामीण समुदायों की स्वच्छ जल तक पहुँच बढ़ेगी, बल्कि विशेष रूप से कमज़ोर और वंचित वर्गों को भी लाभ मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों को लागू कर रहा है ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित कर सकें और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकें।

स्थानीयकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू समान उद्देश्यों वाली योजनाओं के बीच तालमेल स्थापित करना और विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत भागीदारों की पहचान, उपलब्ध संसाधनों की मैपिंग, और उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायतों के लिए क्षेत्रीय और सूक्ष्म योजनाएं तैयार करना और पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों (ग्राम, ब्लॉक, ज़िला) पर योजनाओं का तालमेल बनाना आवश्यक है।

सरकार 'समग्र शासन' और 'समग्र समाज' दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देती है, ताकि विभिन्न योजनाओं के प्रयासों से सामूहिक रूप से प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इससे जल प्रबंधन और स्वच्छता से जुड़े लक्ष्यों की प्राप्ति को अधिक प्रभावी और सतत बनाया जा सकेगा।

आगे की राह

जल प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियाँ जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मांग के कारण और भी गंभीर हो सकती हैं। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जल संसाधनों – सतही और भूजल दोनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, जिसे केवल जन भागीदारी के माध्यम से ही संभव बनाया जा सकता है। अब यह सोच अपनाने की ज़रूरत है कि "जल सिर्फ सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी की ज़िम्मेदारी है।"

पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभाते हुए समुदायों और जल उपभोक्ता समूहों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे पीने के पानी और सिंचाई अवसंरचना के संचालन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी लें। जल प्रबंधन में सामूहिक प्रयास (सबका साथ) से ही समावेशी विकास (सबका विकास) हासिल किया जा सकता है। ❑

पंचायतों की क्षमता निर्माण से सशक्त होगा ग्रामीण भारत

*डॉ. मोहसिन उद्दीन
**डॉ. वसंथा गौरी

पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा रही हैं। ये जमीनी स्तर तक विकास के लाभ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। PRIs को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण आवश्यक है। क्षमता विकास को विकासात्मक पहलों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे ज्ञान और कौशल को संरचित एवं निरंतर रूप से बढ़ाया जा सके।एक सुनियोजित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रूपरेखा PRIs को सशक्त बनाने की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। यह पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यक कौशल, जागरूकता और समझ से सुसज्जित करती है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी रूप से निभा सकें।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 ने ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत करने की नींव रखी। इसके तहत अनुच्छेद 243बी के अनुसार, गांव, मध्यवर्ती और ज़िला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य किया गया। इस संशोधन ने राज्य विधानमंडलों को आवश्यक अधिकार और ज़िम्मेदारियां प्रदान कीं, ताकि ये स्थानीय स्वशासन संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य कर सकें (अनुच्छेद 243जी के अनुसार)।

इसके अलावा, इस संशोधन की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने और लागू करने का दायित्व सौंपा गया। इसका उद्देश्य सहभागी योजना और समावेशी शासन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ आर्थिक प्रगति और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी राज्यों ने त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली (ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ज़िला पंचायत) लागू की है।

पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता निर्माण की आवश्यकता

73वें संवैधानिक संशोधन का कार्यान्वयन भारत के लोकतांत्रिक सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने लोकतंत्र को केवल प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली से आगे बढ़ाकर इसे पूरी तरह सहभागी बना दिया। इस संशोधन ने सरकार की

*राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR), हैदराबाद में कंसल्टेंट हैं। ईमेलः uddin.moshin@gmail.com
**श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश में सहायक प्रोफेसर हैं।

तीसरे स्तर को स्थापित करके ज़मीनी स्तर पर शासन प्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया। लेकिन यह बदलाव तभी सार्थक हो सकता है जब सभी हितधारक पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लें।

पंचायतों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे शासन, योजना निर्माण, सेवा वितरण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कितनी सक्रियता से भाग लेते हैं। इसके लिए उनकी भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों की गहरी समझ आवश्यक है। इसी वजह से, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि पंचायतें मज़बूत और गतिशील स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें।

पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए सतत क्षमता निर्माण आवश्यक है। यदि उनकी क्षमताओं को मज़बूत नहीं किया गया, तो उनका सशक्तीकरण अधूरा रह जाएगा। क्षमता विकास को विकास संबंधी पहलों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिससे संगठित और निरंतर ज्ञान तथा कौशल संवर्धन सुनिश्चित हो सके। यह केवल एक बार की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे निरंतर जारी रखना आवश्यक है ताकि इसकी दीर्घकालिक स्थिरता बनी रहे।

एक सुव्यवस्थित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण ढांचा पंचायतों को उनकी ज़िम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक कौशल, जागरूकता और समझ प्रदान करने में सहायक होता है। हालांकि, पंचायती राज संस्थाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शासन, वित्तीय संसाधनों को जुटाना और प्रबंधन, और सामुदायिक भागीदारी से जुड़ी समस्याएं प्रमुख हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया, तो पंचायतों की कार्यक्षमता सीमित रह जाएगी और वे आवश्यक सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदान करने में असमर्थ हो जाएंगी।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए 2022 में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण रूपरेखा (NCBF) तैयार की गई। यह रूपरेखा पंचायतों के विभिन्न हितधारकों की दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करती है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख सदस्यों की क्षमताओं को विकसित करना है ताकि वे अपनी भूमिकाओं को अधिक कुशलता से निभा सकें।

NCBF 2022 के तहत परिचालन दिशा-निर्देश प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार नए दृष्टिकोण अपनाने या सुधार करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह एक संरचित प्रणाली बनाए रखते हुए नवाचार को भी बढ़ावा देता है,

तालिका-1: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभागियों का वर्षवार प्रशिक्षण			
क्र.	वर्ष	योजना	प्रशिक्षित प्रतिभागी संख्या
1	2014-15	राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA)	9,30,589
2	2015-16	राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA)	14,57,656
3	2016-17	क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तीकरण अभियान (CB-PSA)	34,37,500
4	2017-18	क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तीकरण अभियान (CB-PSA)	53,70,068
5	2018-19	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	43,04,651
6	2019-20	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	33,98,194
7	2020-21	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	33,28,472
8	2021-22	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	32,10,525
स्रोतः लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. †539 का 06/02/2024 को दिया गया उत्तर			

जिससे पंचायतों में क्षमता निर्माण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बन सके।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण पहलों का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु कई पहल की हैं। राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA) को 2012-13 से 2015-16 तक लागू किया गया, जिसके बाद क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तीकरण अभियान 2016-17 और 2017-18 के दौरान संचालित हुआ। इन प्रयासों के तहत 2014-15 से 2017-18 के बीच कुल 1,11,95,813 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे उन्हें ज़मीनीी स्तर पर शासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हुआ।

इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) 2018-19 से 2021-22 तक शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को बढ़ाना था। इस पहल के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए व्यापक मदद दी गई, जिससे उन्हें विकासात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम बनाया गया। विशेष रूप से महत्वाकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे वे प्रभावी विकास रणनीतियों को तैयार और लागू कर सकें। इसके अतिरिक्त, पंचायत संसाधन केंद्र स्थापित किए गए, जो सीखने, ज्ञान साझा करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के प्रमुख केंद्र बने।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2018-19 से 2021-22 के दौरान कुल 1,42,41,842 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाया गया।

आरजीएसए के माध्यम से शासन को मज़बूत बनाना

नेतृत्व और प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)

ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के नेतृत्व और प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) शुरू किया है। यह कार्यक्रम चुने हुए जनप्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को बेहतर प्रशासनिक कौशल और प्रबंधन क्षमता विकसित करने में मदद करता है।

प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग

सरकार ने छह भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) - अहमदाबाद, शिलांग, अमृतसर, जम्मू, बोधगया और रोहतक के

तालिका-2: 2022-23 और 2023-24 के लिए श्रेणीवार प्रशिक्षण डेटा (31 जनवरी, 2024 तक)

क्रम	वर्ग	2022-23	2023-24 (31 जनवरी 2024 तक)
1	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण	7,76,271	494702
2	पुनश्चर्या प्रशिक्षण	2,63,987	403566
3	पीडीपी प्रशिक्षण	10,40,011	754670
4	विषयगत प्रशिक्षण	11,90,701	604868
5	विशिष्ट प्रशिक्षण	1,93,169	132408
6	कोई अन्य प्रशिक्षण	7,33,129	179205

स्रोतः लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. †539 का 06/02/2024 को दिया गया उत्तर

साथ-साथ आईआईटी, धनबाद और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (IRMA) के साथ समझौता किया है। इस कार्यक्रम के तहत नेतृत्व और टीम वर्क, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, नवाचार और रचनात्मकता पर प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल को बदला भी जा सकता है।

निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष विभिन्न संस्थानों जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पहला नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम 15 से 19 जनवरी, 2024 तक आईआईएम, अहमदाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण कौशल सिखाए गए।

निष्कर्ष

73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की शक्ति देकर ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मज़बूत किया है। लेकिन उनकी प्रभावशीलता लगातार क्षमता निर्माण और जनभागीदारी पर निर्भर करती है। सरकार ने आरजीपीएसए, सीबी-पीएसए और आरजीएसए जैसी योजनाओं के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया है।

संशोधित आरजीएसए पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप कार्य करने में मदद करता है। प्रमुख संस्थानों के साथ नेतृत्व और प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक कौशल से लैस कर रहे हैं।

आगे बढ़ते हुए, इन योजनाओं में नवाचार और सुधार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि एक मज़बूत और प्रभावी पंचायती राज व्यवस्था बनाई जा सके। यह समावेशी और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा और ग्रामीण भारत की समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगा। ❑

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

- **मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दी**
- **योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5911 करोड़ रुपये**
- **2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।**

Publications Division is now on amazon.in

More than 400 titles available

- Rashtrapati Bhavan Series
- Gandhian Literature
- Indian History
- Personalities & Biographies
- Speeches and Writings
- Art & Culture
- Exam Preparation
- Children's Literature

Visit Our Store at Amazon.in

Scan this QR Code

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

Our publications are also available online at:

www.bharatkosh.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

For placing orders, please contact: Ph : 011-24365609, e-mail: businesswng@gmail.com

/publicationsdivision /dpd_india DPD_India YojanaJournal

पंचायती राज व्यवस्था से संबद्ध प्रश्नोत्तरी

1. पंचायती राज प्रणाली को भारत में आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया था?

क) 1950
ख) 1957
ग) 1992
घ) 1993

2. भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी?

क) उत्तर प्रदेश
ख) राजस्थान
ग) बिहार
घ) तमिलनाडु

3. पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है?

क) ग्रामीण स्तर पर स्वशासन
ख) राज्य सरकार को मजबूत बनाना
ग) कर संग्रहण में सुधार
घ) उद्योगों का विकास

4. पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों में एक बार कराए जाते हैं?

क) 3 वर्ष
ख) 4 वर्ष
ग) 5 वर्ष
घ) 6 वर्ष

5. ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं?

क) पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि
ख) सभी ग्रामवासी जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो
ग) जिला परिषद के सदस्य
घ) केवल ग्राम प्रधान और सरपंच

6. पंचायती राज प्रणाली के तीन स्तर कौन-कौन से हैं?

क) ग्राम पंचायत, राज्य पंचायत, जिला पंचायत
ख) नगर पंचायत, तालुका पंचायत, मंडल पंचायत
ग) ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद
घ) ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगरीय पंचायत

7. पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा तंत्र स्थापित किया गया है?

क) केंद्रीय वित्त आयोग
ख) राज्य वित्त आयोग
ग) योजना आयोग
घ) लोक लेखा समिति

8. ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है?

क) सरपंच
ख) मुखिया
ग) विधायक
घ) पार्षद

9. पंचायती राज प्रणाली को संविधान में कौन-सा संशोधन लागू करता है?

क) 61वां
ख) 69वां
ग) 73वां
घ) 74वां

10. पंचायती राज व्यवस्था के तहत कर वसूलने का अधिकार किसे होता है?

क) केंद्र सरकार
ख) राज्य सरकार
ग) ग्राम पंचायत
घ) जिला प्रशासन

11. पंचायतों को कौन-से कार्य करने का अधिकार नहीं है?

क) जल आपूर्ति
ख) शिक्षा का संचालन
ग) पुलिस व्यवस्था
घ) स्वच्छता अभियान

12. पंचायतों के अधिकारों और दायित्वों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है?

क) सातवीं अनुसूची
ख) ग्यारहवीं अनुसूची
ग) बारहवीं अनुसूची
घ) तेरहवीं अनुसूची

1. घ) 1993, 2. ख) राजस्थान, 3. क) ग्रामीण स्तर पर स्वशासन, 4. ग) 5 वर्ष, 5. ख) सभी ग्रामवासी जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 6. ग) ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, 7. ख) राज्य वित्त आयोग, 8. क) सरपंच, 9. ग) 73वां, 10. ग) ग्राम पंचायत, 11. ग) पुलिस व्यवस्था, 12. ख) ग्यारहवीं अनुसूची

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अँग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अँग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर '**अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**' के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत ..... पत्रिका ..... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) .....

पता : .....

..... ज़िला ..... पिन .....

ईमेल ..... मोबाइल नं. .....

डीडी/पीओ/एमओ सं. ..... दिनांक ..... सदस्यता सं. .....

कुल पृष्ठ : 52
आई.एस.एस.एन. 0971-8451
प्रकाशन की तिथि : 1 अप्रैल 2025

PRGI/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2024-26
Licenced under U (DN)-54/2024-26
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.
DL(DS)-49/MP/2025-26-27 (Magazine Post)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

भारत 2025

अब उपलब्ध

मूल्य : ~~₹340.00~~
विशेष मूल्य
₹306.00

भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का विश्वसनीय संकलन

ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें :
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com

ऑनलाइन खरीद के लिए www.bharatkosh.gov.in पर जाएं

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

अन्य उपयोगी पुस्तकों/पत्रिकाओं के लिए कृपया पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में पधारें

@publicationsdivision | @DPD_India | @dpd_india

राजीव कुमार जैन, महानिदेशक (प्रभारी), द्वारा, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के लिए सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित और मुद्रक जिनेन्द्र कुमार जैन द्वारा जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, दिल्ली-110020 से मुद्रित। संपादक : ललिता खुराना